मध्यप्रदेश विधान सभा

(चतुर्दश विधान सभा)

शासकीय आश्वासनों संबंधी समिति

का

षोडश प्रतिवेदन

(जून-जुलाई, 2004 सत्र से संबंधित)

(यह प्रतिवेदन 18 मार्च, 2016 को सदन में प्रस्तुत.)

विषय सूची

क्रमांक (1)	विषय (2)	पृष्ठ संख्या (3)
1.	**समिति का गठन**	एक
2.	**प्रस्तावना**	दो
3.	**प्रतिवेदन में सम्मिलित विभागवार आश्वासनों की सूची**	तीन
4.	**विभागों के नाम:-**	
	(1) गृह(पुलिस)	1
	(2) राजस्व	5
	(3) पंचायत एवं ग्रामीण विकास	8
	(4) मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास	11
	(5) लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	12
	(6) आदिम जाति कल्याण	15
	(7) नर्मदा घाटी विकास	18
	(8) खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण	19
	(9) जल संसाधन	20
	(10) ऊर्जा	23
	(11) स्कूल शिक्षा	26
	(12) सहकारिता	30
	(13) वन	32
	(14) खनिज साधन	33
	(15) परिवहन	35
	(16) धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व	36
	(17) किसान कल्याण तथा कृषि विकास	37
	(18) उच्च शिक्षा	40
	(19) तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास	42
	(20) नगरीय प्रशासन एवं विकास	43
	(21) आवास एवं पर्यावरण	46
	(22) लोक निर्माण	47
	(23) लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	52
5.	**(i) परिशिष्ट - 1 (विशेष टिप्पणी/अनुशंसा)**	55
	(ii) परिशिष्ट - 2 (जांच के अनिर्णीत प्रकरण)	56
	(iii) परिशिष्ट - 3 (जून-जुलाई, 2004 सत्र के पूर्व प्रतिवेदनों में सम्मिलित आश्वासनों की सूची)	57

शासकीय आश्वासनों संबंधी समिति का गठन
(वर्ष 2015-16)

<u>सभापति</u>

1. श्री राजेन्द्र पाण्डेय.

<u>सदस्यगण</u>

2. श्री बालकृष्ण पाटीदार
3. श्री लोकेन्द्र सिंह तोमर
4. श्री सूबेदार सिंह रजौधा
5. श्री इन्दर सिंह परमार
6. श्री के.के.श्रीवास्तव
7. चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी
8. श्री चन्द्रशेखर देशमुख
9. श्री सुखेन्द्र सिंह बन्ना
10. श्री हरदीप सिंह डंग
11. श्री नीलेश अवस्थी.

<u>विधान सभा सचिवालय</u>

1.	श्री भगवानदेव ईसरानी	. .	प्रमुख सचिव
2.	श्री ए.पी.सिंह	. .	सचिव
3.	श्री जी.के.राजपाल	. .	अपर सचिव
4.	श्री बी.डी.सिंह	. .	उप सचिव
5.	श्री आर.के.गुप्ता	. .	अवर सचिव
6.	श्री सुरेश कुमार त्रिवेदी	. .	अनुभाग अधिकारी
7.	श्री शिवप्रसाद बुन्देला	. .	अनुभाग अधिकारी.

प्रस्तावना

मैं, शासकीय आश्वासनों सम्बन्धी समिति का सभापति, समिति की ओर से प्राधिकृत होकर समिति का षोडश प्रतिवेदन (चतुर्दश विधान सभा) सदन के समक्ष प्रस्तुत करता हूं ।

2. यह समिति मध्यप्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 224(1) के अन्तर्गत 12 अगस्त 2015 को गठित की गई थी ।

3. इस प्रतिवेदन में जून-जुलाई, 2004 सत्र में विधान सभा में मा.मंत्रिगणों द्वारा सदन में दिये गये आश्वासनों को सम्मिलित किया गया है । वर्णित सत्र में मा.मंत्रियों द्वारा शासन के विभिन्न विभागों से संबंधित कुल 327 आश्वासन दिये गये थे जिनमें से 231 आश्वासनों का निराकरण द्वादश विधान सभा के विभिन्न प्रतिवेदनों में किया जा चुका है, इस प्रकार शेष 97 ***(आश्वासन क्रमांक 306 एवं 306 बी पृथक-पृथक होने से एक अतिरिक्त आश्वासन की बढ़ोत्तरी हुई है)*** आश्वासनों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही का परीक्षण कर विभागीय अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव का मौखिक साक्ष्य लिया गया तथा विचारोपरान्त आश्वासनों को इस षोडश प्रतिवेदन में शामिल करने का निर्णय लिया गया ।

4. आश्वासनों की अभिपूर्ति हेतु मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन एवं संसदीय कार्य विभाग द्वारा जारी परिपत्रों का विभागों द्वारा पालन नहीं किये जाने से कई विभागीय आश्वासनों की अभिपूर्ति लगभग 14 वर्ष बाद भी नहीं हो पाई है । संसदीय कार्य नियमावली के अध्याय 8 (आश्वासन) की कण्डिका 8.5(4) अनुसार आश्वासनों के संबंध में आश्वासन पंजी का कतिपय विभागों द्वारा न तो संधारण किया जा रहा है और न ही पंजी मंत्री जी के अवलोकनार्थ भेजी जा रही है. समिति इस पर अपनी अप्रसन्नता व्यक्त करती है तथा अपेक्षा करती है कि संसदीय कार्य नियमावली का पालन किया जाकर लंबित आश्वासनों को सर्वोच्च प्राथमिकता देकर उनका समय सीमा में निराकरण किया जायेगा ।

5. इस संबंध में समिति की विशेष टिप्पणी (परिशिष्ट - 1) पर प्रदेश के मुख्य सचिव व संसदीय कार्य विभाग उचित कार्रवाई करें, यह समिति की अपेक्षा है ।

6. समिति की बैठक दिनांक 17 मार्च, 2016 में इस प्रतिवेदन के प्रारूप पर विचार कर अनुमोदित किया गया ।

7. समिति विधान सभा सचिवालय के प्रमुख सचिव/सचिव एवं संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों, विभागीय अपर मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों एवं सचिवों तथा जिन्होंने समिति के कार्यो में सहयोग प्रदान किया, उन सभी के प्रति आभार व्यक्त करती है ।

राजेन्द्र पाण्डेय
सभापति
शासकीय आश्वासनों संबंधी समिति

स्थान :- भोपाल
दिनाक:- 17 मार्च, 2016

प्रतिवेदन में सम्मिलित विभागवार आश्वासनों की सूची

क्र.	विभाग का नाम	आश्वासन क्रमांक
1.	गृह(पुलिस)	03, 05, 06, 08, 10, 17, 18, 20, 21
2.	राजस्व	24, 25, 29, 33, 35, 37, 42, 43
3.	पंचायत एवं ग्रामीण विकास	50, 78, 79
4.	मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास	83
5.	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	89, 92, 97, 98, 126
6.	आदिम जाति कल्याण	108, 109, 112, 113, 114, 326
7.	नर्मदा घाटी विकास	117
8.	खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण	120
9.	जल संसाधन	123, 136, 139, 140
10.	ऊर्जा	134, 266, 268, 272, 274, 275, 278
11.	स्कूल शिक्षा	156, 158, 160, 165, 166
12.	सहकारिता	205, 208, 212
13.	वन	173, 174
14.	खनिज साधन	181, 182, 184
15.	परिवहन	189
16.	धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व	202
17.	किसान कल्याण तथा कृषि विकास	193, 198, 200
18.	उच्च शिक्षा	168, 316, 321
19.	तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास	324, 325
20.	नगरीय प्रशासन एवं विकास	216, 219, 220, 224, 226, 227, 228, 229, 230
21.	आवास एवं पर्यावरण	235, 239
22.	लोक निर्माण	245, 248, 249, 252, 254, 256, 260, 262
23.	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	292, 294, 299, 300, 302, 303, 304, 305, 306, 306 बी

जून-जुलाई, 2004 सत्र
गृह(पुलिस) विभाग

स.क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या, प्रश्न क्रमांक, दिनांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	समिति का अभिमत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	03	अता.प्र.सं.26 (क्र.526) दि. 25.06.2004	मुरैना जिले की जौरा तहसील के ग्राम सकतपुर में शराब ठेकेदार की गोली से बकरी चरवाहा बैजनाथ कुशवाह की मृत्यु तथा हत्यारों की गिरफ्तारी की जाना।	प्रकरण की सीआईडी द्वारा विवेचना की जा रही है। विवेचना पर आये तथ्यों के आधार पर कार्यवाही की जावेगी।	थाना बागचीनी में पंजीबद्ध अप0क्र0 71/01, धारा 304, 34 भादवि के प्रकरण में आरोपी उप निरीक्षक मनीष मिश्रा की अभियोजन स्वीकृति प्राप्त होने के बाद प्रकरण में गिरफ्तार किया जाकर चालान क्र0 118/05 दिनांक 29/09/05 तैयार किया जाकर मि0नं. 731।08, दिनांक 14/10/08 को मान.न्यायालय में पेश किया गया है। न्यायालय में पेश किया गया है । न्यायालय में विचाराधीन है। **विभागीय पत्र क्रमांक – 4275/12206/2005/बी-1/ दो, दिनांक 29.06.2011**	कोई टिप्पणी नहीं.
2.	05	ध्यानाकर्षण सूचना (क्र.1) दि. 25.06.2004	रीवा शहर में कुणाल गौतम का अपहरण कर हत्या की जांच।	1. मान. सदस्यों को आश्वस्त करना चाहूंगा कि संपूर्ण प्रकरण में निश्चय कार्यवाही की जावेगी। 2. राज्य में सक्षम एजेंसी के सीआईडी से यदि सदस्य चाहेगें तो उन्हें परामर्श करेंगे अलग से किसी सक्षम अधिकारी के लिये इंडीकेट करेंगे तो अपने राज्य की एजेन्सी से उसकी जांच करा लेंगे । यह आश्वस्त कराना चाहूंगा कि वहां पर नौजवान की कहीं से लगता है कि स्वभाविक मृत्यु नहीं है जो असामयिक कारणों की जांच पड़ताल करेंगे । राज्य एजेन्सी को राज्य की सीमाओं में सूक्ष्म रूप से उनसे जांच करायेंगे।	थाना सिविल लाईन जिला रीवा के मर्ग क्र. 39/2004 धारा 174 दप्रसं में मृतक कुणाल गौतम उम्र 26 वर्ष निवासी नरेन्द्र नगर रीवा की मृत्यु के संबंध में मर्ग जांच की गई। मर्ग जांच में विसरा परीक्षण की जांच रिपोर्ट में रासायनिक विष का होना नहीं पाया गया । दिनांक 03.07.2007 को मर्ग डायरी सीआईडी जबलपुर जांच हेतु सौंपी गई । सीआईडी पु.मु. भोपाल द्वारा दिनांक 11.04.2005 को मर्ग जांच पर संज्ञेय अपराध का घटित होना नहीं पाये जाने से मर्ग जांच नस्तीबद्ध किये जाने हेतु दिनांक 29.07.06 को अनुविभागीय दंडाधिकारी तह. हुजूर जिला रीवा द्वारा मर्ग जांच नस्तीबद्ध किया गया है। **विभागीय पत्र क्रमांक – 4316/509/2005/बी-1/दो, दिनांक 01.07.2011**	कोई टिप्पणी नहीं.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3.	06	ता.प्र.सं.03 (क्र.1907) दि. 02.07.2004	थाना अमानगंज जिला पन्ना में पत्रकार के साथ दुर्व्यवहार संबंधी शिकायत की जांच तथा दोषी के विरूद्ध कार्यवाही।	जांच पूर्ण होने पर संबंधित कार्यवाही की जावेगी।	उप पुलिस अधीक्षक (ए.जे.के) पन्ना की जांच रिपोर्ट दि. 12.07.04 में संज्ञेय अपराध का घटित होना नहीं पाया गया। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **9738/2007/बी-1/दो, दिनांक 01.12.2007**	कोई टिप्पणी नहीं.
4.	08	परि.अता.प्र.सं.12 (क्र.687) दि. 02.07.2004	भिण्ड जिले में विधान सभा चुनाव वर्ष 2003 एवं लोक सभा चुनाव वर्ष 2004 के दौरान लायसेंस धारियों द्वारा शस्त्र जमा न करने वाले दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही।	प्रक्रिया पूर्ण होने पर उनके विरूद्ध विधि अनुसार कार्यवाही की जायेगी।	121 लायसेंसियों के शस्त्र लायसेंस सुनवाई उपरांत बहाल किये गये है तथा 08 निरस्त किये गये है। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **9997/2007/बी-1/दो, दिनांक 12.02.2007**	कोई टिप्पणी नहीं.
5.	10	अता.प्र.सं.30 (क्र.2272) दि. 09.07.2004	कटनी जिले थाना विजयराघवगढ़ में ग्राम पंचायत के पृथक सरपंच बुद्धुलाल के विरूद्ध पंजीबद्ध अपराध पर कार्यवाही।	प्रकरण में विवेचना पूर्ण होने के पश्चात वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।	थाना विजयराघवगढ़ के अप.क्र. 222/03, धारा 420, 467 भादवि के प्रकरण के आरोपी पृथक सरपंच बुद्धुलाल केवट के विरूद्ध चालान दिनांक 14.12.06 को न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी विजयराघवगढ़ के न्यायालय में पेश किया गया, जिसका प्रकरण क्र. 577/07 है। प्रकरण में दिनांक 26.08.2011 को मान. न्यायालय प्रथम श्रेणी दण्डाधिकारी, विजयराघवगढ़ में गवाहों की उपस्थिति हेतु पेशी नियत थी। गवाहों के उपस्थित न होने से दिनांक 17.10.2011 को उपस्थिति हेतु जमानती वारंट जारी किये गये हैं। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **7013/3792/2011/बी-1/दो, दिनांक 05.12.2011**	कोई टिप्पणी नहीं.
6.	17	ता.प्र.सं.09 (क्र.4402) दि. 30.07.2004	शिवाजी नगर भोपाल के शासकीय आवासों को रिक्त करवाने की कार्यवाही की जाना।	निष्कासन की कार्यवाही की जावेगी।	शिवाजी नगर, भोपाल स्थित शा.आ.क्रं. जी-106/81 आवंटित श्रीमती प्रेमकांता गौर द्वारा दिनांक 20.11.07 को रिक्त कर दिया गया है। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **एफ 15-25/2004/दो-ए, दिनांक 11.12.2007**	कोई टिप्पणी नहीं.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7.	18	ता.प्र.सं.22 (क्र.124) दि. 30.07.2004	अब्दुल रफीक उप यंत्री जल संसाधन के विरूद्ध पंजीबद्ध प्रकरण पर कार्यवाही की जाना।	अनुसंधान पूर्ण होने पर गुण दोष के आधार पर दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी।	थाना अ.अ.वि.पु.मु. भोपाल के अप.क्र. 05/02 धारा 420, 467, 468, 471 भा.द.वि. के आरोपी राकेश श्रीवास्तव की हाईकोर्ट जबलपुर द्वारा दि. 21.04.08 को अग्रिम जमानत स्वीकृत की गई जिसके पालन में मान. ए.डी.जे. भोपाल द्वारा आरोपी को रू. 15-15 हजार की जमानत तथा रू. 30,000/- का मुचलका लेकर नियमित जमानत मान. ए.सी.जे.एम को आदेशित किया गया। मान. ए.सी.जे.एम द्वारा दि. 10.05.08 को राकेश श्रीवास्तव को नियमित जमानत स्वीकृत की गई। आरोपी अब्दुल रफीक उप यंत्री को दि. 16.06.08 को गिरफ्तार कर मान. ए.सी.जे.एम. न्यायालय भोपाल में पेश किया गया। आरोपी दि. 30.06.08 तक जुडिशियल रिमांड पर है। विवेचना पूर्ण होने पर प्रकरण में चालान क्रमांक 03/08 दि. 20.06.08 लेख किया गया। चालान न्यायालय द्वारा निर्धारित न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने के पश्चात् न्यायालय में प्रस्तुत किया जावेगा। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **एफ 13-314/7/बी-1/दो, दिनांक 04.07.2008**	कोई टिप्पणी नहीं.
8.	20	परि.अता.प्र.सं.11 (क्र.3054) दि. 30.07.2004	राजगढ़ जिले में आर्म्स एक्ट के अंतर्गत जप्त शस्त्रों की नीलामी की कार्यवाही किया जाना।	नियमानुसार निर्धारित प्रक्रियापूर्ण होने पर नीलामी की कार्यवाही की जा सकेगी।	राजसात शस्त्रों की नीलामी हेतु एक दल का गठन किया गया। दल द्वारा राजसात शस्त्रों का भौतिक सत्यापन किया गया। शस्त्रों का भौतिक सत्यापन किया गया। शस्त्रों में से 07 बाराबोर बन्दूकें नीलामी योग्य पाई जाने पर दल द्वारा दिनांक 13.12.07 को सभी औपचारिकताऐं पूर्ण कर इन शस्त्रों की अंतिम बोली से सहमत होते हुये नीलामी की गई। नीलामी से एकत्रित राशि रू. 24350/– चालान द्वारा 0055 पुलिस आर्म्स एक्ट हेड में जमा कराई गई। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **एफ 13/325/07/बी-1/दो, दिनांक 28.12.2007**	कोई टिप्पणी नहीं.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
9.	21	ध्यानाकर्षण सूचना (क्र.149) दि. 30.07.2004	पांढुर्णा के शंकर नगर में डकैतों द्वारा हत्या की जाना तथा पापडिया बदमाशों में पकड़ने में की गई कार्यवाही ।	04 लोग कम हैं और हम जल्दी से जल्दी पापडिया को गिर. करके न्यायालय में पेश किया जावेगा ।	थाना पांढुर्ना में अप.क्र. 118/04 धारा 395, 396, 397 भादवि का प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना की गई । प्रकरण में आरोपी दिलीप पुत्र सुभाष काले निवासी वायकड़ थाना पुलगांव जिला वर्धा महाराष्ट्र, आरोपी जीवन पुत्र सुभाष काले निवासी सदर को दिनांक 17.06.2000 को गिरफ्तार किया गया । प्रकरण में फरार आरोपियों के विरूद्ध फरारी इश्तेहार जारी का गिरफ्तार आरोपियों के विरूद्ध चालान क्र. 218/04 दिनांक 27.08.04 तैयार कर दिनांक 13.09.04 को न्यायालय में पेश किया गया जिसका प्रकरण क्र. 788/04 है । प्रकरण में शेष फरार आरोपियों की पतारसी कर आरोपी शंकर पुत्र रामहरी लोहार निवासी नरखेड़ महाराष्ट्र, हेमराज पुत्र गजानंद बाबुलकर निवासी तीनखेड़ा महाराष्ट्र, सुभाष डोडिया पुत्र गजानंद बाबुलकर निवासी तीनखेड़ महाराष्ट्र, सतीष पुत्र केश मराठा निवासी नरखेड़ महाराष्ट्र एवं संजय उर्फ रामा पुत्र सुरेश कुनबी निवासी काटोल महाराष्ट्र को दिनांक 18.08.05 को गिरफ्तार किया जाकर प्रकरण में आरोपियों के विरूद्ध पूरक चालान दिनांक 25.04.06 को तैयार कर दिनांक 29.04.06 को न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथमश्रेणी सौसर के न्यायालय में पेश किया गया है । जो न्यायालय में विचाराधीन है । **विभागीय पत्र क्रमांक – 4318/3780/2011/बी-1/दो, दिनांक 01.07.2011**	कोई टिप्पणी नहीं.

जून-जुलाई, 2004 सत्र
राजस्व विभाग

स.क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या, प्रश्न क्रमांक, दिनांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	समिति का अभिमत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
10.	24	ता.प्र.सं.11 (क्र.120) दि. 22.06.2004	पनागर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम करमेता, विगमा, कठोन्ध, सुहागी, महाराजपुर, मड़ई, रिछाई, बिलपुरा, तेवर के भूमिहीनों को भूमि देता तो वे किसान जिनकी जमीन है आर.बी.सी. प्रावधान के अंतर्गत उनको प्राथमिकता के आधार पर उनकी जमीन का पट्टा देकर काबिज किया जाना।	मा. सदस्य ने जो अनुरोध किया तथा जो प्रश्न किया है उसकी समीक्षा करवायेंगे, उनके लिए अगर नियम अंतर्गत होगा तो कार्यवाही करेंगे।	समीक्षा की गई नगर भूमि सीमा अधिनियम 1976 के प्रावधानों में नगरीय क्षेत्र की अतिशेष भूमि के व्यवस्थापन का कोई प्रावधान नहीं है। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **एफ 21-17/04/सात-नजूल, दिनांक 15.06.2009**	कोई टिप्पणी नहीं.
11.	25	ता.प्र.सं.12 (क्र.182) दि. 28.06.2004	भोपाल जिले के मुख्यालय पर शासकीय भूमि पर से झुग्गियों के अतिक्रमण हटाया जाना।	मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि जितनी गति से हमने 5-6 अतिक्रमण हटाये हैं उसी गति से इस वर्ष के अंत तक अतिक्रमण हटा लिये जाएंगे।	वर्ष 2012-13 में नजूल राज.परि.टी.टी. नगर वृत्त से ग्राम बावडियाकलां एवं ग्राम शाहपुरा के बाबा नगर तथा दानिश नगर व शहर भोपाल के पंचशील नगर क्षेत्र में झुग्गियों के रूप में अतिक्रमण नगर निगम व जिला प्रशासन के सहयोग से हटाया गया। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **एफ 20/13/2013/सात/2ए, दिनांक 18.11.2014**	कोई टिप्पणी नहीं.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
12.	29	अता.प्र.सं.14 (क्र.930) दि. 05.07.2004	ग्वालियर जिले के गिर्द के वीरपुर पंचायत को आबादी घोषित किया जाना।	वीरपुर ग्राम सभा से प्रस्ताव आने पर आबादी घोषित करने की कार्यवाही की जावेगी।	ग्राम वीरपुर तहसील ग्वालियर में पूर्व से कुल किता 18 रकबा 3.495 है. भूमि आबादी बसी हुई है । इसके अतिरिक्त ग्राम वीरपुर में चरनोई भूमि के नंबर 92, सर्वे नंबर 94, सर्वे नं. 95, सर्वे नंबर 174, एवं सर्वे नंबर 176, कुल किता 7, रकबा 6.990 हैक्टेयर शासकीय भूमि के 5.120 हैक्टेयर शासकीय भूमि पर मकान आदि बने होने से आबादी घोषित करने हेतु ग्राम पंचायत का ठहराव प्राप्त हुआ है । ग्राम पंचायत वीरपुर को नगर निगम ग्वालियर की सीमा में सम्मिलित करने के लिए प्रारंभिक अधिसूचना दिनांक 1.6.2012 को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित की जा चुकी है । दावे आपत्तियों के बाद अंतिम प्रकाशन के प्रस्ताव भी कलेक्टर के पत्र क्रमांक 74/2011-12/बी-121 दिनांक 19.7.2012 से आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय को भेजे जा चुके है। आबादी का अस्तित्व ग्रामीण क्षेत्र में होता है । चूंकि ग्राम वीरपुर ग्राम पंचायत नगर निगम की सीमा में सम्मिलित होने के अंतिम चरण में है । विधि सम्मत न होने से आबादी घोषित किया जाना संभव नहीं है। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **एफ 20/129/2009/सात/2ए, दिनांक 23.02.2013**	कोई टिप्पणी नहीं.
13.	33	अता.प्र.सं.46 (क्र.3210) दि. 12.07.2004	ग्राम पंचायत धनोटी विकासखण्ड भाण्डेर जिला दतिया के अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को अनाज वितरण किया जाना।	नागरिक आपूर्ति निगम से खाद्यान्न उपलब्ध होने पर वितरण की कार्यवाही की जावेगी।	कलेक्टर जिला दतिया द्वारा पत्र में उल्लेख किया गया है कि जिला दतिया के ग्राम धनौटी के कुल 31 हितग्राहियों को 22.50 प्रतिशत (ग्रीन कार्ड) हेतु ,खाद्यान्न प्रदाय किया जाना था जिसमें से 8 हितग्राहियों को दिनांक 20.07.2004 को एवं 16 हितग्राहियों 01.09.2004 को प्रथम किश्त के रूप में 42.12 क्विंटल खाद्यान्न का भुगतान किया जा चुका है। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **एफ -3/ग्राभूप्र-आश्वा/2015/6683, दिनांक 16.11.2015**	कोई टिप्पणी नहीं.
14.	35	परि.ता.प्र.सं.05 (क्र.3071) दि. 19.07.2004	सागर जिले की राहतगढ़ तहसील में तहसीलदार एवं अन्य व्यवस्थाओं की पूर्ति की जाना।	जो कमियां है उनको पूरा करवा लेंगे।	सागर जिले की तहसील राहतगढ़ तहसील में तहसीलदार की पदस्थापना एवं अन्य व्यवस्थाओं की पूर्ति की जा चुकी है। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **एफ -1/आश्वा/स्था/2015/6635, दिनांक 13.11.2015**	कोई टिप्पणी नहीं.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
15.	37	ध्यानाकर्षण सूचना (क्र.417) दि. 19.07.2004	इंदौर जिले के महू स्थित मालरोड से बेदखल किये गये रहवासियों को अन्यत्र विस्थापित किया जाना।	अध्यक्ष महोदय – आपके निर्देशों का पालन होगा।	भारत सरकार के रक्षा संपदा अधिकारी महू वृत्त छावनी श्री आलोक गुप्ता के उत्तर अनुसार महू छावनी स्थित मालरोड पर बंगलों का पुनर्ग्रहण भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय की अनुमति से किया जा रहा है। उन बंगलों के ऐसे होल्डर आफ अकुपेंसी राइट को जिन के पास बंगले के पुनर्ग्रहण के पश्चात महू अथवा साथ लगी नगर पालिकाओं में कोई आवासीय मकान नहीं रह जावेगा, उन रहवासियों को बाजार मूल्य की आधी कीमत पर केंट क्षेत्र में भू-खण्ड देने का प्रावधान रक्षा भूमि की नीति के अनुसार है, लेकिन उन बंगलों के किसी भी किरायेदार को अन्यत्र पुनर्विस्थापित किये जाने का कोई प्रावधान नहीं है। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **एफ 20/130/2009/सात-2ए, दिनांक 16.08.2011**	कोई टिप्पणी नहीं.
16.	42	परि.ता.प्र.सं.58 (क्र.4899) दि. 26.07.2004	भोपाल जिला अंतर्गत उप नगर बैरागढ़ में स्थायी पट्टे प्रदाय करने के लंबित प्रकरण।	प्रचलित प्रकरणों में वांछित पूर्ति होने पर प्रकरणों का निराकरण शीघ्र किया जायेगा।	वर्ष 2004 में उपनगर बैरागढ़ में स्थायी पट्टों के कुल 50 प्रकरण लंबित थे, जिनमें से अब तक 41 प्रकरणों का निराकरण किया जा चुका है। शेष 9 प्रकरण विभिन्न विभागों से अभिमत प्राप्त नहीं होने तथा न्यायालयों में विचाराधीन होने के कारण लंबित हैं। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **एफ 21-44/04/सात/नजूल, दिनांक 14.09.2010**	कोई टिप्पणी नहीं.
17.	43	ध्यानाकर्षण सूचना दि. 27.07.2004	म.प्र. शासन द्वारा भूमि सीमा अधिनियम समाप्त किये जाने के बाद भी कृषकों को भूमि का अधिग्रहण व मुआवजा राशि का भुगतान न किया जाना।	(1) मुआवजा निर्धारण एवं वितरण की कार्यवाही की जा रही है जो शीघ्र पूर्ण की जायेगी। (2) अध्यक्ष महोदय हम इसका परीक्षण करवा लेंगे जो होगा वह करेंगे।	उत्तर अप्राप्त	परिशिष्ट - 1 के अनुसार

जून-जुलाई, 2004 सत्र
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

स.क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या, प्रश्न क्रमांक, दिनांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	समिति का अभिमत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
18.	50	प्र.सं.17 (क्र.1402) दि. 01.07.2004	विधान सभा क्षेत्र डिण्डोरी में आवासीय भवन निर्माण व धन राशि में हुई अनियमितता के दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही।	उपयंत्री के विरूद्ध रू. 458342 की वसूली कार्यवाही की जा रही है।	जिला शिक्षा केन्द्र डिण्डोरी में पदस्थ श्री विकास खरे, उपयंत्री द्वारा कन्या आश्रम शाला भवन विक्टी वि.खं. समनापुर के निर्माण कार्य में की गई अनियमितता के संबंध में जांच अधिकारी के प्रतिवेदन के आधार पर राशि रूपये 158342/- की वसूली निरूपित की गई थी । निर्धारित वसूली के संबंध में श्री विकास खरे द्वारा जिला शिक्षा केन्द्र जबलपुर में उपयंत्री के पद पर रहते हुए रू. 1500/- प्रतिमाह आधार पर राशि रूपये 13500/- जिला शिक्षा केन्द्र डिण्डोरी में जमा कराई गई । श्री विकास खरे द्वारा वसूली के संबंध में उच्च न्यायालय जबलपुर में याचिका क्र. 6793/2006(S) दायर की गई। तदोपरांत माननीय उच्च न्यायालय द्वारा वसूली के विरूद्ध स्थगन आदेश दिनांक 11.05.2006 पारित कर वसूली पर रोक लगा दी गई है। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **एफ 10-58/2004/22/पं-1, दिनांक 22.11.2014** समिति द्वारा सतत् परीक्षण उपरांत इस सचिवालय के पत्र क्रं.1232/वि.स./आश्वा./2015 दि. 16.01.2015 के द्वारा विभाग से निम्नांकित जानकारी चाही गई :- ***विभाग द्वारा स्थगन वेकेण्ट कराने के लिये की गई कार्यवाही की अद्यतन जानकारी।*** **लगातार पत्राचार के बावजूद अद्यतन स्थिति की जानकारी अप्राप्त है।**	परिशिष्ट - 1 के अनुसार.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
19.	78	अता.प्र.सं.20 (क्र.4971) दि. 29.07.2004	जिला बड़वानी कलेक्टर के विरूद्ध गंभीर शिकायतों की जांच।	जांच पूर्ण होने के उपरांत नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।	श्री अंतर सिंह आर्य, मान. विधायक के शिकायती पत्र दि. 15.05.04 में उल्लेखित बिन्दुओं में से एक में श्री जब्बार ढाकवाला के कलेक्टर बड़वानी रहते ग्रामीण पुस्तकालयों में खरीददारी में हुई अनियमितता के संबंध में आयुक्त, इंदौर संभाग इंदौर से प्राप्त प्रतिवेदन दि. 23.1.06 में इसकी जांच संचालक, राजीव गांधी शिक्षा मिशन से कराई गई । राज्य शिक्षा केन्द्र से प्राप्त प्रतिवेदन दि. 20.4.07 की प्रतिलिपि स्कूल शिक्षा विभाग को भेजकर उनसे पत्र दि. 12.7.07 द्वारा इस प्रतिवेदन पर प्रकरण में आगामी कार्यवाही के लिये अभिमत और यदि उनके मत में श्री ढाकवाला दोषी हैं तो श्री ढाकवाला के विरूद्ध आरोप पत्रादि के प्रारूप चाहे गये है। स्कूल शिक्षा विभाग के पत्र दिनांक 25.6.09 द्वारा अभिमत प्राप्त हुआ। स्कूल शिक्षा विभाग ने अपने प्रतिवेदन में श्री ढाकवाला के विरूद्ध किसी प्रकार के आरोप सिद्ध नहीं होना बताया। प्रकरण की समग्र वस्तुस्थिति को ध्यान में रखते हुए प्रकरण के परीक्षण एवं जांच पश्चात श्री ढाकवाला के विरूद्ध उक्त शिकायत नस्तीबद्ध करने का निर्णय राज्य शासन द्वारा दि. 25.11.09 को दिया गया है। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **डी-9/5/04/6/एक, दिनांक 06.01.2010**	कोई टिप्पणी नहीं.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
20.	79	ध्यानाकर्षण सूचना (क्र.146) दि. 30.07.2004	रीवा जिले की तहसील मऊगंज अंतर्गत ग्राम पंचायत फूलहर चंन्द्र सिंह के सरपंच द्वारा स्कूलों में मध्यान्ह भोजन के चावल वितरण में अनियमितता की जांच एवं दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही।	जांच में पर्यवेक्षण के लिये नियुक्त एवं जिम्मेदार अधिकारियों का दोष निर्धारण होने पर उनके विरूद्ध भी यथोचित कार्यवाही की जायेगी।	न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी हनुमना, मऊगंज द्वारा दिनांक 23.03.05 को पारित निर्णय में श्री रामदीन साकेत सरपंच फूलहरचन्द्र सिंह विकास खण्ड हनुमना को दोषी पाया है। पारित निर्णय में सरपंच श्री रामदीन साकेत को छः वर्ष की कालावधि के लिये पंचायत के सदस्य या सरपंच हेतु निरर्हित घोषित किया है तथा पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 92 के तहत खाद्यान्न की रकम बाजार दर से मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत हनुमना, जिला रीवा के यहां एक सप्ताह के अंदर जमा करने का भी निर्णय पारित किया है। **विभागीय पत्र क्रमांक – 11309/22/वि-9/एमडीएम/वि.स./2010, दिनांक 15.07.2011** समिति द्वारा सतत् परीक्षण उपरांत इस सचिवालय के पत्र क्रं.4493/वि.स./आश्वा./2012 दि. 05.12.2012 के द्वारा विभाग से निम्नांकित जानकारी चाही गई :- ***पर्यवेक्षक के लिये नियुक्ति अधि. दोषी पाये गये अथवा नहीं की अद्यतन जानकारी।*** **लगातार पत्राचार के बावजूद अद्यतन स्थिति की जानकारी अप्राप्त है।**	परिशिष्ट - 1 के अनुसार.

जून-जुलाई, 2004 सत्र
मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास विभाग

स.क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या, प्रश्न क्रमांक, दिनांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	समिति का अभिमत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
21.	83	अता.प्र.सं.14 (क्र.407) दि. 24.06.2004	बाणसागर जलाशय हेतु मत्स्याखेट सत्र हेतु वर्ष 02-03 में राजीव सिंह एण्ड एसोसिएट ग्राम झिन्ना जिला सतना के विरूद्ध राशि रूपये 20.00 लाख के चेक बाउन्स होने से उक्त राशि वसूल किया जाना। मत्स्य महासंघ को हो रहे नुकसान की जवाबदारी तय किया जाना।	वसूली हेतु कार्यवाही की जा रही है। मेसर्स जय माँ काली फिशरीज द्वारा प्रस्तुत चेक बाउंस हुए हैं उनके विरूद्ध शेष राशि वसूली करने हेतु विधिवत प्रकरण दायर किया जा रहा है।	1. मत्स्य महासंघ विरूद्ध श्री राजीव सिंह एवं विष्णु प्रताप सिंह प्रकरण में सुनवाई की तिथि दिनांक 02.08.2013 को नियत थी । उक्त दिनांक को पुन: गिरफ्तारी हेतु वारंट जारी किये गये । आगामी सुनवाई हेतु दिनांक 03.10.2013 की तिथि नियत की गई है। 2. आर्विटेशन प्रकरण क्रमांक 2/07 डी.एन.बोस, विरूद्ध मत्स्य महासंघ में संघ अभिवक्ता द्वारा शीघ्र सुनवाई हेतु माननीय न्यायालय के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया गया था । न्यायालय द्वारा दिनांक 28.03.2013 को प्रकरण की सुनवाई कर पुन: 04 सप्ताह पश्चात सुनवाई हेतु आदेश पारित किये गये किंतु आज दिनांक तक प्रकरण की सुनवाई नहीं होने पर पुन: संघ अधिवक्ता द्वारा शीघ्र सुनवाई हेतु दिनांक 29.08.13 को मा. उच्च न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत किया गया है। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **एफ 18-18/2004/छत्तीस, दिनांक 18.09.2013**	कोई टिप्पणी नहीं.

जून-जुलाई, 2004 सत्र
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

स.क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या, प्रश्न क्रमांक, दिनांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	समिति का अभिमत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
22.	89	परि.अता.प्र.सं.28 (क्र.3656) दि. 15.07.2004	जिला छतरपुर में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में लगातार 5 वर्षों से पदस्थ उपयंत्रियों के स्थानांतरण किया जाना।	विद्यमान स्थानांतरण नीति के तहत 5% की सीमा को ध्यान में रखते हुये संबंधित उपयंत्रियों के स्थानांतरण की कार्यवाही की जावेगी।	मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के आदेश क्रमांक एफ 13-20/2004/1/चौंतीस दिनांक 26.04.07 द्वारा जिला छतरपुर में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग से लगातार 5 वर्षों से पदस्थ उपयंत्रियों का स्थानांतरण कर दिया गया है। **विभागीय पत्र क्रमांक – एफ 13-20/2004/1/चौतीस, दिनांक 27.06.2007**	कोई टिप्पणी नहीं.
23.	92	ता.प्र.सं.08 (क्र.360) दि. 15.07.2004	श्री आर.बी. शर्मा, कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खंड रीवा द्वारा नियम विरूद्ध विभिन्न कर्मचारियों को अपने अधीन कार्यालयों में अनुलग्न करने के संबंध में जांच एवं दोषी के विरूद्ध कार्यवाही।	1. किसी का दोष महसूस नहीं हो रहा है फिर भी डॉ. साहब का कहना है कि गहराई से जांच हो तो हम सूक्ष्म जांच करा रहे हैं कि कहीं किसी का दोष हुआ तो हम लेख लेंगे। 2. अध्यक्ष महोदय परीक्षण करवा रहे हैं जो रिजल्ट आयेगा उसके आधार पर निर्णय लिया जायेगा।	प्रकरण क्रं. स्वा/19/185/03-04 श्री आर.बी. शर्मा, कार्यपालन यंत्री लो.स्वा.यां. खंड रीवा द्वारा की गई अनियमितताओं की जांच कराकर जांच प्रतिवेदन शिकायत के बिन्दु क्रं. 1 से 17 तक का बिन्दुवार अभिमत प्रमुख अभियंता से प्राप्त किया गया। उक्त प्रकरण में लोकायुक्त द्वारा श्री आर.बी. शर्मा के विरूद्ध आरोप-पत्रादि चाहे गये थे। श्री शर्मा दिनांक 30.9.05 को सेवानिवृत्त हो चुके है। साथ ही विषयांकित प्रकरण लोकायुक्त संगठन के पत्र क्रं. 135/स्वा/19/185/03-04, दिनांक 21.4.2010 द्वारा संगठन स्तर पर समाप्त किया गया है। प्रकरण में कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है। **विभागीय पत्र क्रमांक – 3763/4244/2014/1/34, दिनांक 10.11.2014**	कोई टिप्पणी नहीं.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
24.	97	परि.ता.प्र.सं.01 (क्र.364) दि. 22.07.2004	शहरी क्षेत्रों में अनाधिकृत नलकूप खनन करने वाले सहायक यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी कर्मशाला उपखंड रीवा के विरूद्ध कार्यवाही की जाना।	उत्तर प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी । कारण बताओ सूचना पत्र का उत्तर प्राप्त होने पर नियमानुसार शीघ्र कार्यवाही की जावेगी।	1. प्रकरण में श्री एस.के.एस. परिहार, उपयंत्री को प्रमुख अभियंता कार्यालय द्वारा पत्र क्रं. 7882 दिनांक 28.10.10 द्वारा आरोप पत्र जारी किया गया था। उनके विरूद्ध आरोप प्रमाणित हो जाने के कारण आदेश क्रं 57 दिनांक 29.9.07 द्वारा दो वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने की शास्ति अधिरोपित की गई है। 2. श्री एम.सी. मगरोठिया, उपयंत्री को पत्र क्रं 7941 दिनांक 29.9.07 द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था । उनका प्रतिवाद उत्तर आंशिक रूप से समाधानकारक मानते हुए ''परिनिन्दा'' लघुशास्ति अधिरोपित की गई है। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **3830/4244/2014/1/34, दिनांक 13.11.2014**	कोई टिप्पणी नहीं.
25.	98	ता.प्र.सं.25 (क्र.4995) दि. 29.07.2004	ग्वालियर चंबल संभाग में हैण्डपंप खनन में की गई अनियमितता की जांच की जाना एवं दोषी अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही।	प्रकरण विशेष का परीक्षण कर दोषी पाये जाने पर संबंधित अधिकारी पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।	इस प्रकरण के आरोपी श्री ओ.पी. गोयल तत्कालीन प्रभारी कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड, भिण्ड के विरूद्ध विभागीय जांच संस्थित करने की कार्यवाही के तहत इस विभाग द्वारा दिनांक 16.9.2004 को श्री गोयल की आरोप पत्रादि जारी किए गए है। श्री गोयल से उत्तर प्राप्त हो चुका है । प्रकरण में नियमानुसार आवश्यक आगामी कार्यवाही की जा रही है। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **एफ 13-36/05/1/चौंतीस, दिनांक 25.02.2005**	कोई टिप्पणी नहीं.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
26.	126	परि.अता.प्र.सं.22 (क्र.1385) दि.	परसिया विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम चरई से चरई बांध परियोजना का कार्य पूर्ण करने की अवधि।	मध्यप्रदेश शासन से प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त कर चरई बांध का निर्माण कार्य दो वर्ष में पूर्ण किया जा सकेगा।	परासिया विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत चरई बांध परियोजना के नाम से कोई कार्य योजना नहीं है। किंतु पेंचव्हेली समूह जल प्रदाय परियोजना के अंतर्गत पेंच एवं कन्हान क्षेत्र के दो नगरों एवं 13 ग्रामों की पेयजल व्यवस्था हेतु पेंचव्हेली समूह जल प्रदाय परियोजना लागत रूपये 998.70 लाख की वर्ष 1985 में स्वीकृत हुई थी। जिसके अनुसार योजना लागत का 2/3 भाग डब्ल्यू.सी.एल. एवं भाग राज्य शासन को वहन करना था। योजना लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा संचालित एवं संधारित की जानी थी, जिसकी लागत भी उसी अनुपात में डब्ल्यू.सी.एल एवं लो.स्वा.या.वि. को वहन करना थी। इस योजना में स्त्रोत निर्माण हेतु बांध निर्मित किया जाना प्रस्तावित था। योजना के कार्यों में सर्वेक्षण पिक अप वियर्स तथा पाईप लाईन कार्यों की लागत बढ़ जाने के कारण रूपये 1394.57 लाख लागत की योजना वर्ष 1995 में पुनरीक्षित की गई, जिसे डब्ल्यू.सी.एल. बोर्ड द्वारा सहमति भी प्रदान की गई थी। पुनरीक्षित योजना में स्त्रोत हेतु 3 वियर्स प्रस्तावित किये गये परंतु इस पुनरीक्षित योजना की स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई तथा वर्ष 1998-99 में पुन: पुनरीक्षित कर रूपये 29.00 करोड़ लागत की योजना बनाई गई एवं डब्ल्यू.सी.एल. को सूचित किया गया। इस योजना में तीन विअर निर्मित न कर पुन: बांध का निर्माण प्रस्तावित किया गया। डब्ल्यू.सी.एल. इस पुनरीक्षित योजना लागत रूपये 29.00 करोड़ हेतु सहमत नहीं है। डब्ल्यू.सी.एल. से आवश्यक अंशदान 2/3 भाग की सहमति नहीं दिये जाने के कारण शासन से योजना की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त नहीं हो रही है। डब्ल्यू.सी.एल के सहमति के अभाव में बैराज (बांध) का निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं किया जा सका। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **एफ 13-289/2004/2/34/39/2, दिनांक 20.10.2005**	कोई टिप्पणी नहीं.

जून-जुलाई, 2004 सत्र
आदिम जाति कल्याण विभाग

स.क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या, प्रश्न क्रमांक, दिनांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	समिति का अभिमत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
27.	108	परि.अता.प्र.सं.40 (क्र.1323) दि. 02.07.2000	जयसिंह नगर विकासखंड जिला शहडोल में विकास खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा वर्ष 2003-04 में बिना राशि आहरण के 7.50 लाख की राशि का भुगतान किये जाने संबंधी वित्तीय अनियमितता में दोषी के विरूद्ध कार्यवाही।	लेखाओं के परीक्षण की कार्यवाही प्रचलित है। परीक्षणोपरांत ही अनियमितताओं के संबंध में नियमानुसार कार्यवाही की जा सकेगी।	आयुक्त आदिवासी विकास कार्यालय के अंकेक्षण दल द्वारा विकासखंड शिक्षा अधिकारी जयसिंह नगर शहडोल के कार्यालय का अंकेक्षण किया जाकर अंकेक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। इसके पश्चात आयुक्त आदिवासी विकास के आदेश क्र. स्था.1/डी-2/1481/14962 दिनांक 10.8.04 से श्री बैजनाथ सोनी को निलंबित किया गया तथा ज्ञा.क्र. स्था.1/डी-2/1481/17871 दिनांक 21.9.04 से आरोप पत्र का उत्तर समाधानकारक नहीं होने के कारण आदेश क्र. स्था. 1/डी-2/1481/23991/ दिनांक 29.12.04 से विभागीय जांच संस्थित की गयी। श्री सोनी के दिनांक 31.1.2007 को सेवानिवृत्त हो जाने के कारण आयुक्त आदिवासी विकास द्वारा जांच प्रतिवेदन सहित प्रकरण पेंशन नियमों में आगामी कार्यवाही हेतु विभाग को उपलब्ध कराया गया। परीक्षणोपरांत विभागीय आदेश क्र. एफ 16-6/2009/1/25 दिनांक 03.02.2010 द्वारा विभागीय जांच प्रकरण समाप्त किया गया। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **एफ 2315/2004/1/25, दिनांक 08.07.2015**	कोई टिप्पणी नहीं.
28.	109	ता.प्र.सं.42 (क्र.2566) दि. 09.07.2004	शहरी विकास प्राधिकरण के अंतर्गत भारत सरकार से वर्ष 1995 से 2000 के मध्य प्राप्त राशि के दुरूपयोग की जांच एवं दोषी अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही।	प्रतिवेदन प्राप्त होने पर कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।	अनियमितताओं की शिकायत की जांच राज्य एवं आर्थिक अन्वेषण ब्यूरो ग्वालियर द्वारा की गई। जांच में पर्याप्त साक्ष्य नहीं पाये जाने के कारण ब्यूरो द्वारा जांच क्रमांक 13/98 नस्तीबद्ध की गई। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **एफ 21-22/2004/13-25, दिनांक 18.06.2015**	कोई टिप्पणी नहीं.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
29.	112	ता.प्र.सं.08 (क्र.4009) दि.16.07.2004	श्योपुर जिले के कराहल विकासखण्ड में व्याख्याताओं के रिक्त पदों की पूर्ति की जाना।	(1) जिससे उसकी वित्तीय स्वीकृत मिल जाती है हाईस्कूल खुल जायेगा। (2) अध्यक्ष महोदय संविदा शिक्षकों की भर्ती होने जा रही है, शासन ने इसका निर्णय लिया है। उसमें यह पूर्ति कर दी जावेगी । जी हां नियुक्तियों विवादित एवं परीक्षणाधीन है । परीक्षण के पश्चात् गुण-दोष के आधार पर निर्णय लिया जायेगा।	शासन के ज्ञापन क्रमांक एफ 10/89/03/25/2, दिनांक 28.01.2006 द्वारा वित्तीय स्वीकृति जारी की गई है। **विभागीय पत्र क्रमांक -** **एफ 21/26/2004/2/25, दिनांक 14.12.2007**	कोई टिप्पणी नहीं.
30.	113	ता.प्र.सं.12 (क्र.3179) दि. 16.07.2004	सीधी जिले में दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की नियुक्ति।	जी हां नियुक्तियां विवादित हैं। परीक्षण के पश्चात् गुणदोष के आधार पर निर्णय लिया जावेगा।	1. सीधी जिले में की गई नियुक्तियों के संबंध में तत्कालीन सहायक आयुक्त श्री सोनवानी के विरूद्ध संस्थित विभागीय जांच में श्री एस.आर. सोनवानी वर्तमान में सेवानिवृत्ति के विरूद्ध शासनादेश क्रं. एफ 16-44/04/1/25, दिनांक 04.1.2010 द्वारा संपूर्ण पेंशन स्थायी रूप से रोकने के आदेश दिये गये है। 2. श्री सोनवानी द्वारा नियुक्त किये गये दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को सहायक आयुक्त, सीधी से प्राप्त जानकारी अनुसार निकाला गया था । जिसमें से 42 कर्मचारियों द्वारा मान. उच्च न्यायालय से स्थगन प्राप्त किया गया है। प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **एफ 23-20/2015/1-25, दिनांक 25.04.2015**	कोई टिप्पणी नहीं.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
31.	114	ता.प्र.सं.15 (क्र.2946) दि. 23.07.2004	विकासखण्ड खातेगांव के सागोनिया के घटिया मजरा/टोला आदिवासी बस्ती में विद्युतीकरण किया जाना।	योजना में शामिल थे और अभी तक काम पूरा नहीं हुआ है तो उसको पूरा करवा लेंगे।	संचालक, आदिम जाति क्षेत्रीय विकास परियोजनाएं म.प्र. भोपाल के पत्र क्रमांक (फैक्स) 2623 दिनांक 28.7.2004 के संबंध में कार्यालयीन पत्र क्रमांक/आदिम/परि./04/965 दिनांक 29.07.04 द्वारा अधीक्षण यंत्री म.प्र. विद्युत मण्डल देवास से जानकारी चाही गई। अधीक्षण यंत्री, म.प्र. विद्युत मण्डल देवास के पत्र क्रमांक/7390 दिनांक 12.8.04 द्वारा सूचित किया कि परियोजना सलाहकार मण्डल देवास की बैठक दिनांक 18.11.2000 में खातेगांव विधानसभा क्षेत्र के ग्राम आमला विक्रमपुर का अनुमोदन किया गया था। जिसकी प्राक्कलन राशि रू. 75597 जिसमें परियोजना मद से रू. 16,000/- राशि विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई है। शेष राशि रू. 59597/- माननीय विधायक श्री ब्रजमोहन धूत द्वारा विधायक निधि से मण्डल को दी जाना श्री राशि आवंटित नहीं होने से उक्त मजरे/टोले का विद्युतीकरण कार्य लंबित है। कार्या. पत्र क्रमांक/आदिम/परि./04 05/1213/देवास दिनांक 23.8.2004 से माननीय विधायक महोदय खातेगांव से निवेदन किया गया है कि रू. 59597/विधायक निधि से उपलब्ध कराये जिससे उक्त कार्य म.प्र. विद्युत मण्डल देवास द्वारा पूर्ण करवाया जा सके। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **21/22/04/25/3, दिनांक 11.11.2004**	लंबित कार्य पूर्ण हो, इस निर्देश के साथ समिति प्रकरण समाप्त करती है।
32.	326	ता.प्र.सं.19 (क्र.4755) दि. 23.07.2004	जिला भिण्ड में अन्त्यावसायी निगम द्वारा हितग्राहियों को कौन-कौन से वाहन दिये गये।	इसकी जांच भी करा लेंगे उसमें आपको भी सम्मिलित कर लेंगे।	प्रश्नकर्ता विधायक की और से जांच के संबंध में आवश्यक पहल नहीं होने से जांच आवश्यक नहीं रही। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **एफ 21-102/2013/3-25, दिनांक 24.06.2015**	कोई टिप्पणी नहीं.

जून-जुलाई, 2004 सत्र
नर्मदा घाटी विभाग

स.क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या, प्रश्न क्रमांक, दिनांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	समिति का अभिमत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
33.	117	ता.प्र.सं.06 (क्र.4806) दि. 30.07.2004	जिला धार की मान सिंचाई परियोजना की बांई तट नहर का निर्माण कार्य पूर्ण किया जाना।	बांई तट नहर का निर्माण कार्य 12/2004 तक पूर्ण किया जायेगा।	मान परियोजना के संपूर्ण निर्माण कार्य एवं गेट्स स्थापना सहित पूर्ण हो चुके हैं एवं मान परियोजना का लोकार्पण 10/2006 को संपन्न हुआ हैं एवं मान परियोजना के नहर से वर्ष 2006-07 में 8940 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई गई है। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **एफ 1-41/2004/27-1, दिनांक 29.12.2007**	कोई टिप्पणी नहीं.

जून-जुलाई, 2004 सत्र
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

स.क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या, प्रश्न क्रमांक, दिनांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	समिति का अभिमत
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**
34.	120	परि.अता.प्र.सं.43 (क्र.5046) दि. 30.07.2004	कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी लहार जिला भिण्ड के विरूद्ध गंभीर शिकायतों की जांच एवं कार्यवाही।	शिकायत में उल्लेखित तथ्यों की जांच अनुविभागीय स्तर के अधिकारी से कराई जा रही है । प्रतिवेदन प्राप्त होने पर तथ्य सामने आएंगे, गुण-दोष के आधार पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।	शिकायत में उल्लेखित तथ्यों की जांच अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) लहार से कराई गई । जांच प्रतिवेदन के अनुसार श्री छोटे सिंह बरेलिया, कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी, लहार के विरूद्ध शिकायतकर्ता द्वारा लगाए गए भ्रष्टाचार संबंधी आरोप से कोई प्रमाण प्राप्त नहीं हुए है और न ही शिकायतकर्ता संस्था का आवंटन रोका गया है । **विभागीय पत्र क्रमांक – एफ 10-45/047/उन्तीस-2, दिनांक 30.07.2007**	कोई टिप्पणी नहीं.

जून-जुलाई, 2004 सत्र
जल संसाधन विभाग

स.क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या, प्रश्न क्रमांक, दिनांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	समिति का अभिमत
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**
35.	123	ता.प्र.सं.14 (क्र.92) दि. 25.06.2004	सीधी जिले की गुलाब सागर महान परियोजना के विस्थापितों को मुआवजा भुगतान किया जाना।	जल्दी से जल्दी हम निपटाने की कोशिश करेंगे।	सीधी जिले की महान परियोजना (गुलाब सागर) के समस्त आठों ग्रामों के विस्थापितों को मुआवजा भुगतान की कार्यवाही दिनांक 15.12.2012 तक पूर्ण की जा चुकी है। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **एफ 27-36/2004/सा./31, दिनांक 28.08.2015**	कोई टिप्पणी नहीं.
36.	136	ता.प्र.सं.03 (क्र.4482) दि. 23.07.2004	सुमावली क्षेत्र के ग्राम स्वर मैना बसई तालाब का गलत निर्माण संबंधी श्री अनिरूद्ध सिंह गुर्जर द्वारा की गयी शिकायत की जांच करायी जाना।	1. पुन: जांच करवा लेंगे। 2. ठीक है।	प्रश्नांकित शिकायत की जांच विभाग द्वारा कराई गई। जांच में तालाब की डाऊन स्ट्रीम टो के पास कोई रिसाव होना प्रतिवेदित नहीं पाया गया। मैना बसई निस्तारी तालाब है जिसका उपयोग निस्तारी तालाब के रूप में किया जा रहा है। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **21/127/04/लघु/31/151, दिनांक 16.02.2015**	कोई टिप्पणी नहीं.

<table>
<tr><th>(1)</th><th>(2)</th><th>(3)</th><th>(4)</th><th>(5)</th><th>(6)</th><th>(7)</th></tr>
<tr>
<td>37.</td>
<td>139</td>
<td>परि.अता.प्र.सं.52
(क्र.5130)
दि. 30.07.2004</td>
<td>जिला डिण्डौरी उप संभाग शहपुरा की उद्वहन सिंचाई योजना का कार्य पूर्ण किया जाना।</td>
<td>शेष राशि प्राप्त होने पर योजना कार्य पूर्ण किया जावेगा ।</td>
<td>(1) जिला पंचायत मण्डला को जवाहर रोजगार योजनान्तर्गत विशेष केन्द्रीय सहायता मद में आदिम जाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, द्वारा दिनांक 22.11.1997 को प्राप्त आवंटन में से रू. 76.20 लाख का साख पत्र डिपॉजिट मद में कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग डिण्डौरी को निम्न परियोजनाओं के निर्माण के लिए उपलब्ध कराया गया :-
1. घुण्डी सरई व्यपवर्तन सिंचाई परियोजना 2. चाटी उद्वहन सिंचाई परियोजना 3. हर्राटोला उद्वहन सिंचाई परियोजना
4. बरोदा उद्वहन सिंचाई परियोजना 5. बिछिया उद्वहन सिंचाई परियोजना 6. मरवाही उद्वहन सिंचाई परियोजना
(2) डिपॉजिट कार्यो हेतु साख पत्र द्वारा प्राप्त राशि के उपयोग से घुण्डी सरई व्यपवर्तन सिंचाई परियोजना पूर्ण हो गई तथा शेष 5 योजनाएं अपूर्ण रही । कार्यपालन यंत्री द्वारा दिनांक 09.01.2001 को साख पत्र के उपयोगिता का प्रमाण पत्र कलेक्टर/जिला पंचायत को प्रस्तुत कर दिया गया ।
अपूर्ण परियोजनाओं पर किया गया व्यय निम्नानुसार है –
<table>
<tr><th>स.क्र.</th><th>परियोजना का नाम</th><th>व्यय (रू. लाख में)</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>चाटी उद्वहन सिंचाई परियोजना</td><td>10.12</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>हर्राटोला उद्वहन सिंचाई परियोजना</td><td>10.15</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>बरोदा उद्वहन सिंचाई परियोजना</td><td>10.15</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>बिछिया उद्वहन सिंचाई परियोजना</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>मरवाही उद्वहन सिंचाई परियोजना</td><td>18.31</td></tr>
</table>
(3) आगामी कार्रवाई जल संसाधन विभाग से संबंधित न होकर जिला पंचायत के अधिकार क्षेत्र की है ।
(4) कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग डिण्डोरी के द्वारा दिनांक 04.10.2015 को सभी योजना स्थलों का निरीक्षण किया गया । उनके द्वारा परियोजनाओं को पूर्ण करने के लिये व्यय करना निष्फल बताया गया है क्योंकि परियोजनायें पूर्ण करने पर इनसे सिंचाई लाभ मिलने की संभावना नगण्य है ।
विभागीय पत्र क्रमांक –
21/129/04/लघु/31/1166, दिनांक 23.10.2015</td>
<td>कोई टिप्पणी नहीं.</td>
</tr>
</table>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
38.	140	ध्यानाकर्षण सूचना (क्र.192) दि. 30.07.2004	राजगढ़ जिले के उपसंभाग खिलचीपुर में बरगोलिया सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डूब में आ रही भूमि का मुआवजा प्रकरणों का निराकरण किया जाना।	10 आपत्तियों की राजस्व विभाग द्वारा जांच की जा रही है तथा नियमानुसार जांच उपरांत निराकरण किया जायेगा।	राजगढ़ जिले के उपसंभाग खिलचीपुर में बरगोलिया लघु सिंचाई योजना के डूब में प्रभावित 225.03 हेक्टेयर भूमि का अवार्ड दिनांक 30.05.2005 को पारित किया जाकर संबंधित कृषकों को धनादेश द्वारा दिनांक 19.07.2005 को भुगतान किया जा चुका है। डूब में प्रभावित संपत्ति का अवार्ड दिनांक 03.11.2009 को पारित कर मुआवजा भुगतान दिनांक 10.05.2010 को किया जा चुका है। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **एफ 27-38/2004/सा/31, दिनांक 12.12.2014**	कोई टिप्पणी नहीं.

जून-जुलाई, 2004 सत्र
ऊर्जा विभाग

स.क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या, प्रश्न क्रमांक, दिनांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	समिति का अभिमत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
39.	134	ध्यानाकर्षण सूचना (क्र.574) दि. 22.07.2004	शिवपुरी जिले के कोलारस क्षेत्र में विद्युत प्रदाय किया जाना।	(1) 50 प्रतिशत अगर गांव वाले जमा कर देंगे तो एक डेढ़ माह के अंदर (व्यवधान) हम लाईन चालू कर देंगे। (2) सम्मानीय सदस्य अपने मद से पैसा दे रहे हैं व कुछ पैसा हम वहां से लेंगे निश्चित रूप से सितम्बर माह से लाईन चालू हो जावेगी।	कोलारस क्षेत्र में तार चोरी होने से प्रभावित 65 ग्रामों को विद्युत प्रदाय सुचारू करने हेतु 1.85 करोड़ रू. की राशि स्ट्रेंथनिंग योजना के तहत मार्च, 2008 में स्वीकृत की जा चुकी है व कार्य प्रारंभ हो चुका है। वर्तमान में 17 ग्रामों का कार्य (अकोदा, टामकी, एजवारा, कुडंई, गिंदौरा, मागरोल, टीलाखुर्द, सिरनोदा, छापी, पचावला, श्यामपुर, भासौडा, बेरखेडी, अजलपुर तथा मुबारिकपुर, मिहावरा, बररूआ) पूर्ण कर दिया गया है। कार्य प्रगति पर है तथा शेष 48 ग्रामों का कार्य सामग्री उपलब्धता के अनुसार पूर्ण कर दिया जावेगा। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **एफ 11-331/2004/तेरह, दिनांक 28.05.2009**	कोई टिप्पणी नहीं.
40.	266	परि.अता.प्र.सं.25 (क्र.11) दि. 30.06.2004	रायसेन जिले के विद्युतीकरण ग्रामों में विद्युतीकरण की कार्यवाही पूर्ण किये जाने की अवधि।	निर्माण सामग्री की व्यवस्था कर पारम्परिक विद्युतीकरण की कार्यवाही यथाशीघ्र पूर्ण करने के प्रयास किये जायेगें।	प्रश्न के उत्तर में उल्लेखित वन बाधा रहित अविद्युतीकृत 20 ग्रामों में से 17 ग्रामों का विद्युतीकरण कार्य किया जा चुका है। शेष 03 अविद्युतीकृत ग्रामों में से 01 ग्राम सन् 2001 की जनगणना पुस्तिका में शामिल नहीं है तथा 02 ग्राम वर्तमान में वीरान हैं। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **एफ-11/331/04/13, दिनांक 19.06.2008**	कोई टिप्पणी नहीं.

<table>
<tr><th>(1)</th><th>(2)</th><th>(3)</th><th>(4)</th><th>(5)</th><th>(6)</th><th>(7)</th></tr>
<tr><td>41.</td><td>268</td><td>अता.प्र.सं.51
(क्र.1527)
दि. 21.07.2004</td><td>भिण्ड जिले की गोहद विधानसभा क्षेत्र के ग्रामों का विद्युतीकरण किया जाना।</td><td>उपभोक्ताओं द्वारा बकाया राशि जमा करने के उपरांत विद्युत प्रवाह चालू करने का कार्य संसाधनों की उपलब्धतानुसार प्रारंभ किया जावेगा।</td><td>पूर्व में गोहद विधानसभा के विद्युत विहीन 39 ग्रामों में से 06 ग्रामों से संबंद्ध उपभोक्तओं द्वारा आंशिक भुगतान करने पर माह दिसम्बर 2004 में विद्युत प्रदाय कर दिया गया था। तत्पश्चात् शेष 33 ग्रामों में से 9 ग्रामों के उपभोक्ताओं द्वारा आंशिक बिल भुगतान करने पर विशेष घटक योजना एवं विधायक निधि से प्राप्त राशि कार्यपूर्ण कर चालू कर दिया गया था। वर्तमान में शेष 24 ग्राम राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में शामिल है तथा सभी संबंद्ध उपभोक्ताओं पर विद्युत बिल की राशि बकाया है। जिससे योजना की स्वीकृति केन्द्र शासन से प्राप्त नहीं है।
विभागीय पत्र क्रमांक –
एफ 11-331/2004/तेरह, दिनांक 13.09.2011</td><td>कोई टिप्पणी नहीं.</td></tr>
<tr><td>42.</td><td>272</td><td>ता.प्र.सं.12
(क्र.1175)
दि. 14.07.2004</td><td>प्रदेश में 15 मार्च 2004 से 15 मई 04 तक खरीदी गई बिजली की लागत।</td><td>(1) आपने जो मांगा है वह इसमें नहीं था। 4-5 जगह से अलग-अलग रेट के हिसाब से बिजली क्रय की गई है वह केल्कूलेट करके आपको जानकारी दे दूंगा।</td><td>बिजली की लागत से अभिप्राय बिजली की खरीदी से है। बिजली खरीदी के लिये 15 मार्च 04 से 15 मई 04 तक कुल रूपये 417.53 करोड़ का भुगतान किया गया था। मंडल द्वारा माह अप्रैल एवं मई 2004 में विभिन्न स्त्रोतों से क्रय की गयी बिजली की दर निम्नानुसार रही थी :-
<table>
<tr><th rowspan="2">क्र.</th><th rowspan="2">स्त्रोत जिससे बिजली क्रय की गई</th><th colspan="2">दर/यूनिट(प्रति यूनिट) (सभी प्रभार सम्मिलित करके)</th></tr>
<tr><th>अप्रैल 04</th><th>मई 04</th></tr>
<tr><td>1</td><td>मे. एन.टी.पी.सी</td><td>1.59</td><td>1.69</td></tr>
<tr><td>2</td><td>मे. पी.टी.सी.</td><td>2.46</td><td>2.50</td></tr>
<tr><td>3</td><td>मे. एन.एच.डी.सी. एम.व्ही.डी.ए</td><td>5.61</td><td>7.71</td></tr>
<tr><td>4</td><td>मे. एन.पी.सी.आई.एल (आर.ए.पी.पी)</td><td>2.59</td><td>2.64</td></tr>
<tr><td>5</td><td>मे. टाटा पावर</td><td>2.34</td><td>2.31</td></tr>
<tr><td>6</td><td>मे. एन.व्ही.व्ही.एन.</td><td>2.30</td><td>2.30</td></tr>
<tr><td>7</td><td>यू.आई.</td><td>6.43</td><td>2.22</td></tr>
</table>
विभागीय पत्र क्रमांक –</td><td>कोई टिप्पणी नहीं</td></tr>
</table>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
43.	274	अता.प्र.सं.37 (क्र.3494) दि. 14.07.2004	विधानसभा मऊगंज के ग्रामों का विद्युतीकरण किया जाना।	निर्माण सामग्री की उपलब्धता के अनुसार यथाशीघ्र पूर्ण करने के प्रयास किये जा रहे हैं।	विद्युतीकरण कार्य दिनांक 10.7.2004 को पूर्ण कर दिया गया है। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **2042/एफ11/331/2004/13, दिनांक 15.03.2005**	कोई टिप्पणी नहीं.
44.	275	ता.प्र.सं.01 (क्र.741) दि. 21.07.2004	(1) सतना संभाग में स्थापित विद्युत उपकेन्द्र कोलगवां में 11 के.व्ही. लाइन सबस्टेशन पी.एच.ई वाटर वर्क्स फीडर के बगल से निकाली गयी लाईन का कार्य पूर्ण किया जाना। (2) नये नियमों के तहत बकाया राशि की वसूली किये जाने एवं दोषियों के विरूद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही किया जाना।	(1) जल्द से जल्द प्रयास करेंगे। (2) जी हां परीक्षण करा लेंगे।	सतना संभाग में स्थापित विद्युत उपकेन्द्र से 11 के.व्ही. लाईन स्टेशन पी.एच.ई वाटर वर्क्स फीडर के कार्य हेतु प्राक्कलन स्वीकृत किया जाकर कार्यादेश जारी किया गया था, किंतु लाईन विस्तार में आने वाली व्यवहारिक कठिनाईयों के कारण एवं करेंसी अवधि व्यतीत हो जाने के कारण कार्यपालन यंत्री (स-स) सतना के आदेश दिनांक 2.7.04 से जारी कार्यादेश निरस्त कर दिया गया है। उक्त प्राक्कलन के विरूद्ध भंडार सतना से कोई भी मटेरियल नहीं निकाला गया और न ही किसी लेबर का भुगतान किया गया। अत: इस संबंध में कोई अधिकारी/कर्मचारी दोषी नहीं पाया गया। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **एफ-11/331/04/13, दिनांक 26.05.2006**	कोई टिप्पणी नहीं.
45.	278	अता.प्र.सं.35 (क्र.4391) दि. 21.07.2004	श्योपुर जिले की विजयपुर तहसील मुख्यालय में 132 के.वी.ए. का केन्द्र स्थापित किया जाना।	भविष्य में विद्युत भार बढ़ने पर इस संबंध में विचार किया जावेगा।	श्योपुर जिले के अंतर्गत विजयपुर क्षेत्र का वर्तमान विद्युत भार नए 132 के.वी. उपकेन्द्र की स्थापना संबंधी मानदण्डों की तुलना में अभी कम है। अत: वहां पर तकनीकी एवं आर्थिक दृष्टिकोण से नए 132 के.वी. उपकेन्द्र की स्थापना की जाना अभी प्रस्तावित नहीं है। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **2042/एफ-11/331/2004/13, दिनांक 15.03.2005**	कोई टिप्पणी नहीं.

जून-जुलाई, 2004 सत्र
स्कूल शिक्षा विभाग

स.क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या, प्रश्न क्रमांक, दिनांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	समिति का अभिमत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
46.	156	अता.प्र.सं.45 (क्र.2716) दि. 09.07.2004	आगर बड़ोद विकास खंड के प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में रिक्त पदों की पूर्ति की अवधि।	प्रतिबंध शिथिल होने की स्थिति में संविदा शाला शिक्षक की भर्ती प्रचलित नियमों के अनुसार की जायेगी।	रिक्त पदों की पूर्ति कर दी गई है। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **एफ 30-155/2008/20-1,दिनांक 04.07.2008**	कोई टिप्पणी नहीं.
47.	158	ध्यानाकर्षण सूचना दि. 13.07.2004	भोपाल स्थित बोर्ड द्वारा संचालित विद्यालय को निजी संस्था को संचालित करने हेतु दिये जाने की जांच कराई जाना।	(1) माननीय विधायक जी का जो आरोप हैं उसकी उच्च स्तरीय जांच कराई जाएगी। (2) नहीं। पूरी जांच करवाने के पश्चात जो पाया जाएगा उसमें निराकरण किया जाएगा।	माध्यमिक शिक्षा मण्डल के आदेश क्रमांक प्रशासन/स्थापना/वि.स./5157/2009, दिनांक 23.12.2009 द्वारा अतिरिक्त सचिव की अध्यक्षता में जांच समिति का गठन किया गया था। संस्था द्वारा मान. उच्च न्यायालय में अपील क्रमांक 4658/2008 दायर की गई है, जिसमें मान. न्यायालय द्वारा दिनांक 16.10.2008 को स्थगन आदेश दिया गया है। फलस्वरूप जांच समिति द्वारा जांच करना उचित नहीं पाया। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **एफ 30-187/07/20-3,दिनांक 05.02.2010** समिति द्वारा सतत् परीक्षण उपरांत इस सचिवालय के पत्र क्रं.21024/वि.स./आश्वा./2010 दि. 25.10.2010 के द्वारा विभाग से निम्नांकित जानकारी चाही गई :- ***स्थगन हटाने हेतु आज दिनांक तक की कार्यवाही से समिति अवगत होना चाहेगी कि अद्यतन जानकारी।*** **लगातार पत्राचार के बावजूद अद्यतन स्थिति की जानकारी अप्राप्त है।**	परिशिष्ट - 1 के अनुसार.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
48.	160	प्र.सं.03 (क्र.2334) दि. 16.07.2004	भिण्ड जिले में शिक्षाकर्मियों की भरती में हुई अनियमितता की जांच।	उसमें जो भी जांच के बिंदु हैं तो उसके आधार पर यदि वह दोषी पायेंगे तो उनके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी।	आयुक्त चंबल संभाग मुरैना के आदेश दिनांक 2.1.2004 के द्वारा विभागीय जांच संस्थित की जाकर डिप्टी कलेक्टर कार्यालय भिण्ड को जांच अधिकारी नियुक्त कर जांच कराई गई । जांच में दोषी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत गोहद को भविष्य में सजग रहकर कार्य करने के लिए म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के प्रावधान अंतर्गत परिनिन्दा की शास्ति अधिरोपित करते हुये प्रकरण समाप्त किया जा चुका है। आयुक्त चंबल संभाग मुरैना के आदेश दिनांक 25.2.2002 के द्वारा श्री हरभवन सिंह तोमर विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी गोहद को दोषी पाये जाने के कारण निलंबित किया जाकर विभागीय जांच संस्थित की गई । दिनांक 5.6.2003 को म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के प्रावधान अंतर्गत परिनिंदा की शास्ति अधिरोपित करते हुए प्रकरण समाप्त किया जा चुका है। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **2217/1854/2011/20-1, दिनांक 19.11.2014**	कोई टिप्पणी नहीं.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
49.	165	परि.ता.प्र.सं.05 (क्र.1078) दि. 23.07.2004	फर्जी दस्तावजे के आधार पर प्राचार्य पद पर नियुक्ति तथा फर्जी प्राचार्यों के विरूद्ध थानों में दर्ज कार्यवाही।	1. अपात्र पाये जाने पर दोषियों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। 2. न्यायालय के निर्णय एवं जांच के निष्कर्षों पर निर्भर करेगा।	दोनों अधिकारियों के विरूद्ध विभागीय जांच की अद्यतन जानकारी निम्नानुसार है :- (1) मान. उच्च न्यायालय के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में उच्च स्तरीय समिमि गठित कर प्रकरण का परीक्षण किया गया। श्री श्याम नारायण शर्मा की विभागीय जांच पूर्ण हो चुकी है। श्री शर्मा को शासन के पत्र दिनांक 21.7.14 द्वारा ''क्यों न उनकी सेवाएं समाप्त की जायें '' संबंधी कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है। प्रकरण प्रशासकीय निर्णय उपरांत म.प्र. लोक सेवा आयोग को सहमति हेतु भेजा गया है। श्री शर्मा द्वारा मान. उच्च न्यायालय में याचिका डब्ल्यू.पी. क्रं. 15230/14(एस) दायर की गई जिस पर मान. न्यायालय द्वारा कार्यवाही पर स्थगन प्रदान किया गया है। (2) समिति की अनुशंसा अनुसार श्री रामप्रसाद गुप्ता, तत्कालीन प्राचार्य, उ.मा.वि. खटकारी, रीवा के विरूद्ध शासन आदेश दिनांक 22.9.14 द्वारा विभागीय जांच संस्थित की गई है। प्रकरण में कार्यवाही प्रचलन में है। **विभागीय पत्र क्रमांक – 1227/क्यू-2/2015/बीस-4,दिनांक 10.04.2015** समिति द्वारा सतत् परीक्षण उपरांत इस सचिवालय के पत्र क्रं. 21024/वि.स./आश्वा./2010 दि. 25.10.2010 के द्वारा विभाग से निम्नांकित जानकारी चाही गई :- ***1. दोनों अधिकारियों के विरूद्ध विभागीय जांच की जा रही है।*** ***2. समिति की अनुशंसा के अनुसार श्री रामप्रसाद गुप्ता तत्कालीन प्राचार्य, उ.मा.वि. खटकरी. रीवा के विरूद्ध शासन आदेश दिनांक 22.9.14 द्वारा विभागीय जांच की अद्यतन जानकारी।*** **लगातार पत्राचार के बावजूद अद्यतन स्थिति की जानकारी अप्राप्त है।**	परिशिष्ट - 1 के अनुसार.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
50.	166	ता.प्र.सं. (क्र.2635) दि.23.07.2004	जिला रीवा में शिक्षा विभाग में भृत्य के पद पर नियुक्ति किये जाने में हुई अनियमितता की जांच एवं दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही।	जांच की कार्यवाही पूर्ण होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।	1. जांच प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है तद्नुसार श्री प्रकाश सिंह मीनियल शा.उ.मा.वि. देवतालाब को निलंबित किया जा चुका है। 2. मान. विधायक द्वारा प्राप्त शिकायती पत्र के आधार पर कलेक्टर, रीवा को नियुक्तिकर्ता अधिकारी तत्कालीन प्र.जिला शिक्षा अधिकारी श्री हर्षलाल शुक्ला (मूल पद प्र.अ.) के पात्रता के संबंध में जांच हेतु लिखा गया था। श्री शुक्ला को विधान सभा प्रश्न के परिप्रेक्ष्य में शासनादेशानुसार प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी के पद से हटाकर शाहनगर पन्ना हेतु दिनांक 22.11.2003 को मुक्त किया जा चुका है। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **1759/2014/20-1, दिनांक 10.09.2014**	कोई टिप्पणी नहीं.

जून-जुलाई, 2004 सत्र
सहकारिता विभाग

स.क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या, प्रश्न क्रमांक, दिनांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	समिति का अभिमत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
51.	205	ता.प्र.सं.05 (क्र.1169) दि. 28.06.2004	1. सतना जिले की लक्ष्मी सामुदायिक विकास सहकारी समिति मर्यादित कोटर एवं भास्कर बहुउद्देश्यीय स्वायत्त सहकारी समिति गोरइया के साथ ही अन्य जिन संस्थाओं का अंकेक्षण नहीं कराया है उनके परिसमापन संबंधी कार्यवाही की जाना।	मैं मान. सदस्य को आश्वस्त करना चाहता हूं कि उन सभी के विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी जिन्होनें विधिवत अंकेक्षण नहीं कराया है। को आपरेटिव्ह के नियमों के अंतर्गत परिसमापन की कार्यवाही की जाएगी।	(1) उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं सतना के पत्र क्र. 1008/दि. 5.7.04 के द्वारा संस्थाओं को नोटिस दिया गया। संस्थाओं के द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र के जवाब में अंकेक्षण एवं निर्वाचन संपन्न कराया गया अतएव कारण बताओ सूचना पत्र निरस्त करते हुए परिसमापन की कार्यवाही को निरस्त किया गया है।	कोई टिप्पणी नहीं.
			2. उच्च न्यायालय एकलपीठ के निर्देश पर कार्यवाही समितियों को 90 प्रतिशत तक भुगतान किया गया है प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए आयुक्त रीवा से जांच कराकर डबल बेंच को अपील करने की कार्यवाही की जाना।	इसका परीक्षण करा लेंगे, आवश्यक होगा तो आप की सलाह पर निश्चित रूप से कार्यवाही करेंगे।	(2) प्रकरण का परीक्षण एवं जांच आयुक्त रीवा संभाग से कराये जाने पर पाया गया कि माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के एकल खण्डपीठ द्वारा रिट पिटीशन क्र. 28355/03, 28356/03 एवं क्र. 28357/03 में पारित निर्णय दि. 7.5.05 के पालन में दि. 4.6.04 को 90 प्रतिशत राशि का भुगतान किया गया था। इसके उपरांत माननीय आरबीट्रेटर भोपाल द्वारा प्रकरण क्र. 01/2004, 03/2004 एवं 04/2004 में पारित निर्णय दि. 13.1.05 के पालन में संबंधित तीनों समिति/सहकारिताओं को दि. 25.1.05 को संपूर्ण राशि का भुगतान किया जा चुका है। **विभागीय पत्र क्रमांक – एफ 10-54/2004/पन्द्रह-1,दिनांक 13.09.2005**	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
52.	208	अता.प्र.सं.03 (क्र.2002) दि. 19.07.2004	भोपाल जिले की सहकारी साख संस्थाओं में पदस्थ अधिकारियों के द्वारा सदस्यों से ऋण वसूली में अनियमितताओं की जांच एवं दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही।	यथेष्ठ कार्यवाही की जायेगी।	1. म.प्र. मंत्रालय चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी बचत साख सहकारी समिति मर्या. भोपाल के विरूद्ध गैर सदस्यों की एफ.डी. के भुगतान की जांच राज्य अार्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो, भोपाल के आदेश क्र./अपराध/भोपाल/आर.-1796(10)/1796-ए/2010 दिनांक 28.08.10 में दिये निर्देशानुसार कराई जा रही है। 2. उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं भोपाल के आदेश क्र. विधि/2011/1625 दिनांक 28.04.2011 से म.प्र. मंत्रालय चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी बचत तथा साख सहकारी समिति मर्यादित भोपाल की प्रबंध समिति को म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 53(1) के अंतर्गत अधिक्रमित कर दिया गया है। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **एफ 10-83/2004/15-1, दिनांक 20.06.2011** समिति द्वारा सतत् परीक्षण उपरांत इस सचिवालय के पत्र क्रं.15305/वि.स./आश्वा./2013 दि. 09.07.2013 के द्वारा विभाग से निम्नांकित जानकारी चाही गई :- ***राज्य आर्थिक अपराध ब्यूरो द्वारा की जा रही जांच एवं कार्यवाही की अद्यतन जानकारी।*** **लगातार पत्राचार के बावजूद अद्यतन स्थिति की जानकारी अप्राप्त है।**	परिशिष्ट - 1 के अनुसार.
53.	212	परि.ता.प्र.सं.29 (क्र.4227) दि. 26.07.2004	जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक धार पर उवर्रकों की बकाया धन राशि में अनियमितता की जांच की जाना।	लेखा मिलान के पश्चात उत्तरदायित्व का निर्धारण किया जाकर दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही की जा सकेगी।	म.प्र. राज्य सहकारी विपणन संघ द्वारा श्री बी.एस. लोडे को गलत समायोजन का दोषी पाये जाने के कारण विपणन संघ कर्मचारी सेवा नियम की कंडिका 23 के अंतर्गत उनकी दो वेतनवृद्धियां संचयी प्रभाव से दिनांक 24.1.2007 को रोकी गई है। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **218/212/2015/पन्द्रह-1,दिनांक 24.01.2015**	कोई टिप्पणी नहीं.

जून-जुलाई, 2004 सत्र
वन विभाग

स.क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या, प्रश्न क्रमांक, दिनांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	समिति का अभिमत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
54.	173	ता.प्र.सं.11 (क्र.2629) दि. 12.07.2004	मंडला जिले के टिकरिया परिक्षेत्र के अंतर्गत नेझर एवं पड़री तलाई के बीच वर्ष 2003 में तालाब निर्माण में घटिया सामग्री का उपयोग होने से तालाब फूटने के कारणों की जांच कराकर दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही।	उक्त दोषी के विरूद्ध कार्यवाही की जा रही है।	उप वन मण्डलाधिकारी, महाराजपुर द्वारा स्थल निरीक्षण करने पर पाया गया कि तालाब के क्षतिग्रस्त होने का कारण वेस्ट वियर से समुचित पानी की निकासी न होना तथा तालाब की पाठ पर पर्याप्त मुरमीकरण (टापिंग) न होना पाया गया जिसके सुधार पर रूपये 80000.00/- का व्यय आएगा अत: मरम्मत कार्य होने पर होने वाला व्यय राशि 80000.00/- की वसूली निम्न कर्मचारियों से वसूली की गयी है :- 1 | श्री एस.एस. चतुर्वेदी, वन क्षेत्रपाल | 32000 2 | श्री ए.एस. लहगेरे, वनपाल | 24000 3 | श्री सुखई सिंह भवेदी, वन रक्षक | 24000 योग :- | 80000.00 **विभागीय पत्र क्रमांक –** **एफ 22/92/04/10-2,दिनांक 13.10.2008**	कोई टिप्पणी नहीं.
55.	174	ता.प्र.सं.19 (क्र.2335) दि. 12.07.2004	बैतूल एवं हरदा जिले के संरक्षित वनखण्डों की अधिसूचना का प्रकाशन किये जाने की अवधि।	प्रकरणों की समीक्षा की जाकर इस बाबत् यथासंभव शीघ्र निर्णय लिया जावेगा।	प्रकरणों की समीक्षा की गयी। हरदा जिले के संरक्षित वनखण्डों की भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 6 की उद्घोषणा जारी की जा चुकी है। बैतूल जिले में 495 संरक्षित वनखण्डों में से 174 वनखण्डों की धारा 6 की उद्घोषणा जारी की जा चुकी है, शेष वनखण्डों में उद्घोषणा जारी करने के लिए वन संरक्षक बैतूल एवं कलेक्टर बैतूल को निर्देशित करने का निर्णय लेकर पत्र दि. 2.5.08 जारी किया गया। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **एफ 22-72/04/10-3, दिनांक 06.05.2009**	कोई टिप्पणी नहीं.

जून-जुलाई, 2004 सत्र
खनिज साधन विभाग

स.क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या, प्रश्न क्रमांक, दिनांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	समिति का अभिमत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
56.	181	ता.प्र.सं.14 (क्र.3397) दि. 19.07.2004	भिण्ड जिले के तहसील मेहगांव के ग्राम भारोली कलां में रेत का अवैध खनन की जांच की जाना।	जांच करवा लेंगे।	ग्राम भरोली कलां में मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम लिमिटेड के पक्ष में दिनांक 04.06.2004 से 03.06.2014 तक के लिए रेत खदान स्वीकृत है। अत: इस क्षेत्र से अवैध उत्खनन किये जाने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। इस क्षेत्र से अवैध उत्खनन किये जाने की कोई सूचना कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) भिण्ड में प्राप्त नहीं हुई है। इस खदान क्षेत्र से मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम लिमिटेड द्वारा नियमानुसार अग्रिम रायल्टी जमा की गई है :- क्र. | वर्ष | अग्रिम जमा रायल्टी राशि 1 | 2004-2005 से 31.03.2008 | 86,34,933.00 2 | 2009-2010 | - 3 | 2010-2011 | 38,05,400.00 4 | 2011-2012 | 7,95,000.00 योग | 1,32,35,333=00 **विभागीय पत्र क्रमांक – 6756/4422/2012/12/1, दिनांक 08.11.2013**	कोई टिप्पणी नहीं.
57.	182	ता.प्र.सं.10 (क्र.3958) दि. 26.04.2007	छतरपुर जिले के अंतर्गत विकासखण्ड गोरिहार, लोड़ी, राजनगर में स्वीकृत खदानों के अलावा अवैध खदानों का स्थल निरीक्षण विलंब से करने की जांच कराई जाना।	अगर विधायक जी शिकायत देते हैं तो हम उसका परीक्षण करा लेंगे और विलंब हुआ है तो जांच कराकर कार्यवाही करेंगे।	अवैध उत्खनन के संबंध में माननीय विधायक द्वारा कोई शिकायत प्रस्तुत नहीं की गई। जांच के दौरान कोई अवैध उत्खनन नहीं पाया गया। **विभागीय पत्र क्रमांक – 2637/3533/2014/12/1, दिनांक 13.11.2014**	कोई टिप्पणी नहीं.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
58.	184	ध्यानाकर्षण सूचना (क्र.184) दि. 30.07.2004	कटनी जिले के ग्राम छपरा में गीतांजली मार्बल खदान धसने से पांच श्रमिकों की मौत की जांच एवं दोषी के विरूद्ध कार्यवाही।	इसकी उच्च स्तरीय जांच करा लेंगे और जांच कराकर के जो भी लोग दोषी पाये जायेंगे उन पर कार्यवाही करेंगे।	उप संचालक, कटनी द्वारा पत्र दिनांक 19.12.2013 से सूचित किया है कि ग्राम छपरा में गीतांजली मार्बल की खदान धसकने से 05 श्रमिकों की मौत की जांच में दोषी पाये गये व्यक्तियों के विरूद्ध निदेशक, खान सुरक्षा महानिदेशालय, जबलपुर द्वारा दोषी खदान मालिकों के विरूद्ध चीफ ज्यूडिसियल मजिस्ट्रेट, कटनी के न्यायालय में प्रकरण दर्ज किया गया, जिसका प्रकरण क्रमांक 1481/2004 है। उप संचालक, कटनी द्वारा उक्त प्रकरण के संबंध में जिला अभियोजन अधिकारी से जानकारी प्राप्त की गई । प्राप्त जानकारी अनुसार दा.प्र.क्र. 1481/04 राज्य वि.कपिल बगै. का अभियोग पत्र दिनांक 03.12.2004 को माननीय मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, कटनी के न्यायालय में प्रस्तुत होना अभिलेख में दर्शित है तथा उक्त प्रकरण उक्त न्यायालय में लंबित होकर दिनांक 10.01.2014 को मूल रिकार्ड की प्रत्याशा में नियत होने का लेख किया गया है। उपरोक्त आश्वासन से संबंधित प्रकरण न्यायाधीन है, जो वर्तमान में माननीय मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, कटनी के न्यायालय में गतिशील है। **विभागीय पत्र क्रमांक – 719/2345/2011/12/2, दिनांक 30.01.2014**	कोई टिप्पणी नहीं.

जून-जुलाई, 2004 सत्र
परिवहन विभाग

स.क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या, प्रश्न क्रमांक, दिनांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	समिति का अभिमत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
59.	189	ता.प्र.सं.12 (क्र.2615) दि. 19.07.2004	ग्वालियर एवं रीवा डिपो कर्मशाला के मृत कर्मचारियों को वेतन व समस्त देयकों के भुगतान किए जाने की अवधि।	जैसे ही स्थिति अच्छी होगी हम भुगतान शीघ्र करवाने का प्रयास करेंगे।	ग्वालियर स्थित कर्मशाला एवं रीवा डिपो कर्मशाला के मृत कर्मचारियों के सेवा देय स्वत्वों का पूर्ण भुगतान किया जा चुका है। **विभागीय पत्र क्रमांक – एफ 10-96/2007/आठ, दिनांक 10.07.2007**	कोई टिप्पणी नहीं.

जून-जुलाई, 2004 सत्र
धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग

स.क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या, प्रश्न क्रमांक, दिनांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	समिति का अभिमत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
60.	202	ता.प्र.सं.09 (क्र.2450) दि. 12.07.2004	जिला हरदा में रामजानकी मंदिर दुधकच्छ की कृषि भूमि में 20 वर्षों से न्याय में अनियमितता संबंधी शिकायत से संबंधित बिन्दुओं को सम्मिलित कर जांच करायी जाना।	जांच के दौरान शिकायत से संबंधित बिन्दुओं को रजिस्ट्रार द्वारा शामिल किया जावेगा।	मान. विधायक श्री मनोहरलाल जी राठौर वि.स. क्षेत्र टिमरनी के पत्र क्र. 167 दि. 29.5.04 से प्राप्त शिकायत पर प्रकरण क्र. 6बी/113(4) वर्ष 2004-05 दर्ज किया जाकर विचारण के दौरान पेशी दि. 2.3.07 को उभय पक्ष अधिवक्ताओं ने अवगत कराया कि विवाद पर दोनों पक्षों में सहमति हो गई है। शिकायतकर्ता कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करना चाहते हैं। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **एफ 6-21/2004/छै:/1174, दिनांक 30.08.2007**	कोई टिप्पणी नहीं.

जून-जुलाई, 2004 सत्र
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

स.क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या, प्रश्न क्रमांक, दिनांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	समिति का अभिमत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
61.	193	परि.अता.प्र.सं.13 (क्र.911) दि. 05.07.2004	ग्वालियर की लक्ष्मीगंज कृषि उपज मंडी में अनियमितताओं की जांच एवं दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही।	जांच कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। जांच में दोषी पाए जाने पर कार्यवाही की जावेगी।	प्रारंभिक जांच प्रतिवेदन के आधार पर कृषि उपज मंडी समिति, लक्ष्मीगंज (लश्कर) के तत्कालीन 06 मंडी सचिवों को कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 18.08.2005 को जारी किये गये। संबंधितों के उत्तर के परीक्षणोपरांत प्रथम दृष्टया दोषी पाए गये 02 मंडी सचिवों पर मंडी बोर्ड के आदेश दिनांक 29.06.2007 एवं 05.12.2007 द्वारा एक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने की शास्ति अधिरोपित की गई। 01 मंडी सचिव को पूर्व में आदेश दिनांक 29.05.2007 द्वारा एक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने का दंड दिया गया था। शेष 03 मंडी सचिवों के स्पष्टीकरण को मान्य किया गया है। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **डी-10/53/2004/14-3, दिनांक 14.02.2008**	कोई टिप्पणी नहीं.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
62.	198	अनुदान मांगों पर चर्चा (मांग संख्या 13,07,52,54) दि. 22.07.2004	प्रदेश की कृषि जलवायु के अनुसार कृषि एवं उससे संबंधित समस्त विषयों के समग्र विकास के लिए वृहद कार्य योजना का अनुमोदन प्राप्त किया जाना।	शेष 17 रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया कब तक पूर्ण कर ली जाएगी। इसकी अद्यतन जानकारी भेजे।	कृषि महाविद्यालय टीकमगढ़ के अंतर्गत स्वीकृत समस्त पदों को विश्वविद्यालय द्वारा विज्ञापन क्रं. 20 दिनांक 21.02.2006 द्वारा सीधी भरती से भरे जाने हेतु विज्ञापित किया गया। वर्ष 2007 में उक्त पदों हेतु चयनित अभ्यर्थियों को चयनित किया गया। विज्ञापित पदों में वही पद नहीं भरे जा सके जहां उक्त पदों हेतु निर्धारित वर्ग के उचित उम्मीदवार उपलब्ध नहीं थे। ऐसे सभी रिक्त पदों को जो पूर्व में भरे नहीं जा सके थे तथा नियुक्त हुए व्यक्तियों के त्यागपत्र से रिक्त हुए पदों को वर्ष 2011 में सीधी भर्ती से भरे जाने हेतु विज्ञापन क्रं. 74 दिनांक 6.8.2011 द्वारा विज्ञापित किया गया था जिसके अंतर्गत उपलब्ध योग्य उम्मीदवारों को वर्ष 2012 में नियुक्ति प्रदान की गई। उक्त नियुक्तियों के उपरांत वर्तमान में कृषि महाविद्यालय टीकमगढ़ के अंतर्गत सह प्राध्यापक के 02 पद, सहायक प्राध्यापक के 15 पद कुल 17 पद रिक्त हैं। क्योंकि सहायक प्राध्यापकों के रिक्त 15 पदों में से 06 मद अ.ज.जा. वर्ग के हैं, जो उपयुक्त उम्मीदवार के अभाव में वर्ष 2012 में नहीं भरे जा सके, शेष 09 पद सामान्य वर्ग के है जिसमें 6 पद कार्यरत कर्म. के उच्च पद पर नियुक्त होने से रिक्त हुए। शेष 3 पदों पर नियुक्ति उपरांत चयनित अभ्यर्थियों द्वारा उपस्थिति नहीं दी गई। उक्त रिक्त पद शीघ्र भरे जा रहे हैं। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **बी-10/91/2005/14-2(पार्ट नस्ती), दि.19.09.2013**	कोई टिप्पणी नहीं.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
63.	200	ता.प्र.सं.09 (क्र.4903) दि. 26.07.2004	कटनी जिले में संचालित योजनाओं में अनियमितता करने वाले 5 कर्मचारी के विरूद्ध जांच पूर्ण कर कार्यवाही की जाना।	1. इसी सप्ताह जांच पूरी करके संबंधित अधिकारियों के विरूद्ध जो कुछ भी कार्यवाही हो उसको सुनिश्चित किया जाये। 2. लंबे समय से वहां पदस्थ है तो आज ही उनको वहां से हटाने के आदेश जारी कर दूंगा। 3. इस प्रकार की गई बात सामने आई तो निश्चित रूप से शीघ्रातिशीघ्र कार्यवाही की जावेगी।	1. श्री आर.पी.एस. बघेल, तत्कालीन प्रक्षेत्र अधीक्षक, देलाखेरी के विभागीय जांच के प्रकरण में संचालनालय के आदेश क्र. अ-5-सी/26-2000/398 दि.25.02.2006 के द्वारा श्री बघेल को आदेश क्र. 2,3,4 एवं 5 के लिये परिनिंदा की शास्ति एवं आरोप क्र. 1, अतिरिक्त आरोप क्र. 1 एवं 6 में दोषमुक्त किया गया है। 2. श्री डी.पी. वर्मा, तत्कालीन प्रक्षेत्र अधीक्षक पिपरोध जिला कटनी का स्थानांतरण कर उन्हें शासकीय प्रक्षेत्र भौमाकटिया जिला सिवनी पदस्थ किया गया है एवं संचालनालय आदेश क्र अ-5-सी/वि.जा./13-04/1144-45 दिनांक 03.07.2012 के द्वारा दो वेतनवृद्धियां असंचयी प्रभाव से रोकी जाने एवं रूपये 75985/- की वसूली के आदेश जारी कर दंडित किया जाकर आश्वासन की पूर्ति कर ली गई है। 3. श्री ओ.पी. शर्मा का नाम कोई प्रक्षेत्र अधीक्षक पिपरोध प्रक्षेत्र पर पदस्थ नहीं रहा है। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **1352/1534/13/14-2, दिनांक 06.06.2013**	कोई टिप्पणी नहीं.

जून-जुलाई, 2004 सत्र
उच्च शिक्षा विभाग

<table>
<tr><th>स.क्र.</th><th>आश्वासन क्रमांक</th><th>प्रश्न संख्या, प्रश्न क्रमांक, दिनांक</th><th>आश्वासन का संक्षिप्त विषय</th><th>आश्वासन का रूप</th><th>शासन द्वारा की गई कार्यवाही</th><th>समिति का अभिमत</th></tr>
<tr><td>(1)</td><td>(2)</td><td>(3)</td><td>(4)</td><td>(5)</td><td>(6)</td><td>(7)</td></tr>
<tr><td>64.</td><td>168</td><td>अनुदान की मांगों पर चर्चा
(मांग संख्या 43)
दि. 24.07.2004</td><td>म.प्र. के सभी विश्वविद्यालय के खिलाड़ियों को अधिक से अधिक सुविधा प्रदान किया जाना।</td><td>1. जितने भी विश्व विद्यालय हैं उनमें तीन-तीन खेलों को चिन्हित करने की तैयारी की जायेगी इन चिन्हित खेलों को आगे बढ़ाने के लिये सुनिश्चितता तय की जायेगी तीन खेल बढ़ाने के लिये उनको सुनिश्चित कराया जायेगा।
2. उसको सुनिश्चित कराया जायेगा।</td><td>
<table>
<tr><th>क्र.</th><th>विश्विद्यालय का नाम</th><th>खेलों का विवरण</th></tr>
<tr><td>1</td><td>डॉ. हरिसिंह गौर वि.वि. सागर</td><td>1. क्रिकेट - पुरूष/महिला
2. हाकी - पुरूष/महिला
3. बालीवाल - पुरूष/महिला</td></tr>
<tr><td>2</td><td>विक्रम वि.वि. उज्जैन</td><td>जिमनास्टिक, मलखम्ब, कबड्डी एवं एथलेटिक्स</td></tr>
<tr><td>3</td><td>बरकतउल्ला वि.वि. भोपाल</td><td>(क) बास्केटबाल (ख) हॉकी (ग) बालीवाल (घ) तायक्वाडा (अंतराष्ट्रीय खिलाड़ी ओपन के लिये प्रशिक्षण देते है)</td></tr>
<tr><td>4</td><td>रानी दुर्गावती वि.वि. जबलपुर</td><td>1. कुश्ती 2. हॉकी (पुरूष) 3. फुटबाल (पुरूष) 4. हैण्डबाल (महिला) 5. बालीबाल (पुरूष)</td></tr>
<tr><td>5</td><td>अवधेश प्रताप सिंह वि.वि. रीवा</td><td>1. बालीबाल 2. कबड्डी 3. क्रिकेट</td></tr>
<tr><td>6</td><td>देवी अहिल्या वि.वि. इंदौर</td><td>1. कुश्ती 2. कबड्डी 3. खो-खो 4. फुटबाल 5. क्रिकेट</td></tr>
<tr><td>7</td><td>जीवाजी वि.वि. ग्वालियर</td><td>1. टेनिस 2. टेबिल टेनिस 3. बेडमिन्टन</td></tr>
</table>
विश्वविद्यालयों द्वारा तीन-तीन खेलों को चिन्हित कर उसे आगे बढ़ाने के लिये सुविधायें उपलब्ध कराई गई हैं।
विभागीय पत्र क्रमांक –
एफ 30-12/05/3/38, दिनांक 20.06.2008</td><td>कोई टिप्पणी नहीं.</td></tr>
</table>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
65.	316	ता.प्र.सं.07 (क्र.3205) दि. 21.07.2004	शासकीय महावि. आलमपुर के भवन निर्माण एवं प्राचार्य द्वारा घटिया एवं निम्न स्तर का कार्य कराये जाने के संबंध में दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही। जनभागीदारी समिति के अध्यक्ष की अनुमति के बगैर प्राचार्य द्वारा 6 लाख रू. का कार्य करने के बाद छात्रों के बैठक की व्यवस्था न होने संबंधी जांच प्रतिवेदन पर कार्यवाही।	उचित कार्यवाही करेंगे। 2. हम 15 दिनों में उन बिन्दुओं का परीक्षण कराकर निष्कर्षो से आपको अवगत करा देंगे।	शासकीय महावि. आलमपुर के भवन निर्माण का मूल्यांकन एवं जांच मुख्य तकनीकी परीक्षक से कराई गई। संबंधित प्राचार्य से प्राप्त अभ्यावेदन एवं उनके द्वारा प्रस्तुत प्रतिवाद उत्तर पर विचार करते हुए उनका उत्तर समाधानकारक मानते हुये निर्णय लिया गया कि संबंधित प्राचार्य प्रकरण में दोषी नहीं है तथा उनके विरूद्ध किसी कार्यवाही करने का कोई औचित्य नहीं है। अत: राज्य शासन द्वारा संबंधित प्राचार्य पर लगाये गये आरोपों से दोषमुक्त करते हुये प्रकरण समाप्त किया गया। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **एफ 13-70/04/2-अड़तीस, दिनांक 07.12.2004**	कोई टिप्पणी नहीं.
66.	321	परि.ता.प्र.सं.17 (क्र.5010) दि. 28.07.2004	प्रदेश के शा.महाविद्यालयों के छपाई एवं सामग्री क्रय में अनियमितता करने वाले दोषियों के विरूद्ध कार्रवाई।	उनका परीक्षण कर कार्यवाही की जावेगी।	शा. एम.एल.बी. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, ग्वालियर में प्रवेश आवेदन छपाई में पाई गई अनियमितताएं प्राचार्य द्वारा श्री सिकरवार व श्री जे.एल. मेवाफरोश के पदस्थगी अवधि का है। श्री बी.एस. सिकरवार के सेवानिवृत्ति होने के कारण उनके विरूद्ध कार्यवाही न करने का निर्णय लेते हुए प्रकरण समाप्त किया गया है। दिनांक 11.03.2005 द्वारा श्री मेवाफरोश को कारण बताओ सूचना पत्र दिया गया था। उनसे प्राप्त अभ्यावेदन के परीक्षण पर उत्तर समाधानकारक पाये जाने पर विभागीय आदेश क्रमांक एफ 17-39/2004/2-38, दिनांक 05.07.2007 द्वारा प्रकरण समाप्त किया गया। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **एफ 13-82/04/2-38, दिनांक 09.08.2011**	कोई टिप्पणी नहीं.

जून-जुलाई, 2004 सत्र
तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग

स.क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या, प्रश्न क्रमांक, दिनांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	समिति का अभिमत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
67.	324	ता.प्र.सं.16 (क्र.3533) दि. 14.07.2004	प्रदेश के पोलीटेकनिक महाविद्यालयों में रिक्त पदों की पूर्ति की जाना।	जल्दी से जल्दी करा देंगे।	मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग से वर्ष 2007-08 एवं 09 में संबंधी संवर्ग के विभागाध्यक्ष/व्याख्याताओं की चयन सूची प्राप्त होने के फलस्वरूप नियुक्ति आदेश जारी कर रिक्त पदों की पूर्ति कर दी गई है। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **एफ 30-10/2004/बयालीस(1), दिनांक 14.02.2011**	कोई टिप्पणी नहीं.
68.	325	ता.प्र.सं.18 (क्र.1011) दि. 01.07.2004	महिला पोलीटेकनिक सीहोर में आफिस मेनेजमेन्ट, कास्टयूम डिजाइनिंग एवं ड्रेस मेकिंगफुड टेक्निक्स, इलेक्ट्रानिक के पदों पर पदस्थापना इन विषयों को प्रारंभ किया जाना। 2. स्वीकृत पदों को शीघ्र भरा जाना।	जैसे ही इन पदों की भर्ती हो जाएगी वहां पर इस विषयों को प्रारंभ करेगें। 2. ओपीनियन के लिये भेजी है और जैसे ही भर्ती हो जाऐगी उसको जल्द से जल्द करेंगे।	महिला पोलीटेकनिक सीहोर में मार्डन आफिस मेनेजमेंट में विभागाध्यक्ष एवं व्याख्याता के क्रमश: 01 एवं 03 पद स्वीकृत हैं, जो भरे हुए हैं। संस्था में कास्टयूम डिजाइन एवं ड्रेस मेंकिग, फूड टेक्नॉलॉजी के पद स्वीकृत नहीं हैं, सिर्फ कम्प्यूटर साइंस एण्ड इंजीनियरिंग में व्याख्याता का 01 पद रिक्त हैं। तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास के अंतर्गत पोलीटेक्निक महाविद्यालयों में व्याख्याताओं के रिक्त पदों की पूर्ति GATE 2015 के माध्यम से करने हेतु विज्ञापन क्रमांक जी-18462/14 एवं विज्ञापन क्रमांक जी-18808/14 प्रदेश एवं देश के बहुप्रसारित समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जा चुका हैं। GATE 2015 परीक्षा फरवरी, 2015 में आयोजित की जा रही है। परीक्षा परिणाम घोषित होने के उपरांत व्याख्याता के 01 पद को भरने की कार्यवाही पूर्ण की जावेगी। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **एफ 30-6/2004/बयालीस(1), दिनांक 25.11.2014**	कोई टिप्पणी नहीं.

जून-जुलाई, 2004 सत्र
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

स.क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या, प्रश्न क्रमांक, दिनांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	समिति का अभिमत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
69.	216	परि.अता.प्र.सं.36 (क्र.1286) दि.29.06.2004	भिण्ड जिले के वार्ड क्र. 22 में सीमेंट कांक्रीट रोड निर्माण में हुई अनियमितताओं की जांच की जाना।	जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।	कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग भिण्ड द्वारा की गई जांच के अनुसार पाई गई अनियमितताओं के लिए दोषियों के विरूद्ध पुलिस कार्रवाई करने के निर्देश कलेक्टर जिला भिण्ड को दिये गये है। **विभागीय पत्र क्रमांक -** **एफ 11/61/04/18-2/04, दिनांक 29.01.2005** **<u>अद्यतन जानकारी</u> :-** कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग भिण्ड द्वारा की गई जांच के अनुसार पाई गई अनियमितताओं के लिए दोषियों के विरूद्ध पुलिस कार्रवाई करने के निर्देश कलेक्टर जिला भिण्ड को दिये गये है। कलेक्टर ने नगर पालिका भिण्ड को रिपोर्ट कोतवाली भिण्ड में दर्ज करा दी है। पुलिस से संबंधित अभिलेख जब्त कर लिये है। **विभागीय पत्र क्रमांक -** **1074/2008/18-1, दिनांक 24.03.2008**	परिशिष्ट - 1 के अनुसार.
70.	219	ता.प्र.सं.24 (क्र.1432) दि. 06.07.2004	नगर पालिका वारासिवनी द्वारा विज्ञापन में राशि की वसूली।	प्रकरण में नियमानुसार कार्यवाही जारी है । दोषी पाये जाने पर संबंधित के विरूद्ध कार्यवाही की जाना संभव होगी।	जांच प्रतिवेदन में दोषी पाये गये अधिकारी/कर्मचारियों के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने हेतु आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास का शासनादेश दिनांक 23.06.12 द्वारा निर्देशित किया गया है। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **1709/2013/18-1, दिनांक 25.06.2013**	परिशिष्ट - 1 के अनुसार.
71.	220	अता.प्र.सं.23 (क्र.1431) दि. 06.07.2004	महात्मा गांधी काम्पलेक्स वारासिवनी में नियम विरूद्ध आवंटन एवं नीलामी की कार्यवाही निरस्त करने संबंधी शिकायत की जांच एवं कार्यवाही।	प्रकरण की जांच उप संचालक नगरीय प्रशासन संभाग जबलपुर से कराई जा रही है। जांच के निष्कर्ष उपरांत कार्यवाही संभव होगी।	प्रकरण की जांच की गयी। प्रकरण में तत्कालीन मुख्य नगर पालिका अधिकारी तथा अध्यक्ष दोषी पाये गये । अध्यक्ष को पद से पृथक् कर दिया गया है जबकि तत्कालीन मुख्य नगर पालिका अधिकारी के विरूद्ध विभागीय जांच संस्थित है। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **2504/08/18-1, दिनांक 02.06.2008**	कोई टिप्पणी नहीं.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
72.	224	परि.अता.प्र.सं.10 (क्र.1622) दि.13.07.2004	भोपाल स्थित कोटरा सुल्तानाबाद के साप्ताहिक हाट का स्थान बदला जाना।	प्रस्ताव नगर निगम से मिला है, जिस पर संबंधित विभागों तथा जिला प्रशासन से परामर्श कर के समुचित कार्यवाही की जावेगी।	कोटरा सुल्तानाबाद के बीच भाग से दुकानें हटा दी गई है। भाग के दोनों ओर दुकानें लगाने की व्यवस्था की गई है। वर्तमान में मार्ग पर आवागमन में कोई असुविधा नहीं है। **विभागीय पत्र क्रमांक -** **1189/2008/18-1, दिनांक 31.03.2008**	कोई टिप्पणी नहीं.
73.	226	परि.अता.प्र.सं.50 (क्र.3531) दि. 13.07.2004	शासन द्वारा फायर बिग्रेड क्रय करने हेतु दी गई धनराशि का अन्य मदों में खर्च करने वाले अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही की जाना।	जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।	संभागीय उपसंचालक नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग भोपाल द्वारा जांच की गई । जांच प्रतिवेदन अनुसार फायर वाहन हेतु दी गई राशि रू. 8,64000/- अन्य मद में व्यय करने के लिए श्रीमती लता यादव अध्यक्ष, श्री अब्दुल गनी तत्कालीन प्रभारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी, (मूल पद राजस्व निरीक्षक) श्री आर.के. जैन, तत्कालीन प्रभारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी (मूल पद राजस्व निरीक्षक) तथा वजीर अहमद प्रभारी लेखापाल दोषी पाये गये । श्रीमती लता यादव तत्कालीन अध्यक्ष, श्री अब्दुल गनी तत्कालीन प्रभारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी को दिये जाने वाले आरोप पत्र/कारण बताओ सूचना पत्र जावक क्रमांक 17547 दिनांक 4.12.04 के द्वारा अवर सचिव नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग को भेजे गये हैं । श्री वजीर अहमद प्रभारी लेखापाल को आरोप पत्र मुख्य नगर पालिका अधिकारी बेगमगंज के माध्यम से दिनांक 5.3.05 को दिये जा चुके हैं। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **2504/08/18-1, दिनांक 02.06.2008**	कोई टिप्पणी नहीं.
74.	227	परि.अता.प्र.सं.15 (क्र.1992) दि. 13.07.2004	नगर पालिका वारासिवनी अंतर्गत प्राथमिक शाला चंदोरी के संचालन में अनियमितता हेतु जिम्मेदार अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही की जाना।	जांच कराकर उनके निष्कर्षों के आधार पर कार्यवाही की जावेगी।	प्रकरण की जांच की गयी। प्रकरण में तत्कालीन मुख्य नगर पालिका अधिकारी तथा अध्यक्ष दोषी पाये गये। अध्यक्ष को पद से पृथक कर दिया गया है जबकि तत्कालीन मुख्य नगर पालिका अधिकारी के विरूद्ध विभागीय जांच संस्थित है । इस प्रकार अर्धन्यायिक कार्यवाही में प्रकरण प्रचलित होने के कारण किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **2504/08/18-1,दिनांक 02.06.2008**	कोई टिप्पणी नहीं.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
75.	228	ता.प्र.सं.20 (क्र.4415) दि. 20.07.2004	मुरैना जिले में नगर पंचायत, जौरा द्वारा खरीद-फरोख्त, निर्माण व मरम्मत तथा ट्यूबवेल खनन के कार्यों में की गई अनियमितताओं संबंधी शिकायतों पर दोषी के विरूद्ध कार्यवाही।	जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरांत परीक्षण कर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।	नगर पंचायत द्वारा दिए गए प्रश्न के उत्तर से माननीय विधायक श्री उम्मेद सिंह बना संतुष्ट होने के कारण किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **1684/2015/18-3, दिनांक 09.10.2015**	कोई टिप्पणी नहीं.
76.	229	अता.प्र.सं.06 (क्र.1435) दि. 20.07.2004	महात्मा गांधी काम्पलेक्स वारासिवनी, जिला बालाघाट के संबंध में प्राप्त शिकायतों पर कार्यवाही।	जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।	प्रकरण की जांच की गयी। प्रकरण में तत्कालीन मुख्य नगर पालिका अधिकारी तथा अध्यक्ष दोषी पाये गये। अध्यक्ष को पद से पृथक कर दिया गया है जबकि तत्कालीन मुख्य नगर पालिका अधिकारी के विरूद्ध विभागीय जांच संस्थित है। इस प्रकार अर्धन्यायिक कार्यवाही में प्रकरण प्रचलित होने के कारण किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **2504/08/18-1, दिनांक 02.06.2008**	कोई टिप्पणी नहीं.
77.	230	अता.प्र.सं.03 (क्र.58) दि. 20.07.2004	रतलाम जिले की ताल नगर पंचायत द्वारा क्रय किये गये बिजली के पोल और हाई मास्क की खरीदी में अनियमितता की जांच।	परीक्षण कर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।	प्रकरण में जांच पूर्ण हो चुकी है। जांच में अध्यक्ष और सी.एम. ओ. दोषी पाये गये हैं। अध्यक्ष को कारण बताओ सूचना पत्र और मुख्य नगर पालिका अधिकारी को आरोप पत्र जारी कर दिये गये हैं। प्रकरण में अर्द्धन्यायिक प्रक्रिया निहित होने के कारण प्रकरण के निराकरण में विलंब होना संभावित है। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **2504/08/18-1, दिनांक 02.06.2008**	कोई टिप्पणी नहीं.

जून-जुलाई, 2004 सत्र
आवास एवं पर्यावरण विभाग

स.क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या, प्रश्न क्रमांक, दिनांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	समिति का अभिमत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
78.	235	ता.प्र.सं.05 (क्र.2831) दि. 13.07.2004	ग्वालियर साड़ा क्षेत्र में बिना रायल्टी दिये अवैध मुरम के उत्खनन की जांच एवं दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही की जाना।	1. बिना रायल्टी दिये यदि मुरम का उत्खनन हो रहा है, तो इसकी जांच कराई जायेगी। 2. विभागीय जांच करा ली जायेगी और मा.सदस्य को भी इस जांच में सहयोग ले लिया जायेगा।	साड़ा (काउण्टर मैग्नेट) द्वारा निर्मित सड़कों हेतु उपयोग की गई मुरम की पूर्ण रायल्टी का भुगतान कंपनी द्वारा किया गया है। कंपनी से वर्तमान में कोई रायल्टी लेना शेष नहीं है। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **एफ 20/92/07/32-1,दिनांक 20.11.2007**	कोई टिप्पणी नहीं.
79.	239	अता.प्र.सं.35 (क्र.4524) दि. 27.07.2004	होशंगाबाद में नर्मदा नदी पर मिल रहे गंदे नालों के कारण प्रदूषण फैलाने वाले रसायनों की मात्रा, गंदे नालों की दिशा परिवर्तन एवं रोक लगाने के संबंध में कार्यवाही।	प्रारूप परियोजना प्रतिवेदन को 2-3 माह में अंतिम रूप दिया जा सकेगा तथा योजना का क्रियान्वयन भारत सरकार से स्वीकृति के बाद ही किया जा सकेगा।	होशंगाबाद नगर के नर्मदा नदी के प्रदूषण नियंत्रण एवं संरक्षण हेतु पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना अंतर्गत कुल परियोजना लागत रू. 12.98 करोड़ की योजना दिनांक 20.7.2007 को स्वीकृत की गयी । योजना का क्रियान्वयन नगर पालिका परिषद् होशंगाबाद द्वारा किया जा रहा है। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **5458/1775/2009/32, दिनांक 09.12.2009**	कोई टिप्पणी नहीं.

जून-जुलाई, 2004 सत्र
लोक निर्माण विभाग

स.क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या, प्रश्न क्रमांक, दिनांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	समिति का अभिमत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
80.	245	ता.प्र.सं.07 (क्र.2640) दि.13.07.2004	डबरा-भितरवार-हरसी मार्ग को केन्द्रीय सड़क निधि से मार्गो का निर्माण जाना।	इनके निवेदन को ध्यान मे रखते हुये समय आने पर हम निश्चित रूप से जैसे ही बजट आयेगा। इस कार्य को हम करेंगे।	डबरा-भितरवार-हरसी मार्ग की लंबाई 47.40 कि.मी. का प्राक्कलन राशि 1143.00 लाख का सी.आर.एफ. योजनान्तर्गत प्रमुख अभियंता कार्यालय में परीक्षणाधीन है। **विभागीय पत्र क्रमांक - 2106/5998/19/यो/05, दिनांक 13.05.2005** समिति ने विभागीय जानकारी के परीक्षणोपरांत इस सचिवालय के पत्र क्रमांक 14818/वि.स./आश्वा./2005, दि.12.07.2005 द्वारा निम्नांकित अद्यतन जानकारी चाही गई :- ***प्राक्कलन कब से परीक्षणाधीन एवं वर्तमान में प्रकरण की अद्यतन स्थिति।*** **अद्यतन जानकारी :-** डबरा-भितरवार-हरसी मार्ग की लंबाई 47.40 कि.मी. में से 21.40 कि.मी. की प्रशासकीय स्वीकृति राशि रू.422.13 लाख की दिनांक 27.06.2006 से केन्द्रीय सड़क निधि योजना से जारी की जाकर कार्य प्रगति पर है।	कोई टिप्पणी नहीं.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
81.	248	ता.प्र.सं.13 (क्र.2333) दि. 13.07.2004	भिण्ड जिले में मण्डी निधि से स्वीकृत सड़कों को निर्धारित गुणवत्ता के अनुरूप न होने के लिए दोषी अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही की जाना।	1. आरोप पत्र की कार्यवाही हम शीघ्रता शीघ्र कर देंगे और जांच करवा देंगे, आप कहेंगे तो हम कोशिश करेंगे कि सत्र की समाप्ति जांच करवा देंगे। 2. माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है तो मैं जानकारी लेकर आपको दे दूंगा।	मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग भोपाल का आदेश क्रमांक एफ-17-20/2005/स्था/19 भोपाल दिनांक 31.05.2012 से श्री आर.के. वर्मा से.नि. कार्यपालन यंत्री श्री एस.आर. गुप्ता प्रभारी सहायक यंत्री दिनांक 20.10.11 एवं 26.06.12 द्वारा से तीन उपयंत्री, श्री आर.सी. जाटव उपयंत्री, श्री पी.के. द्विवेदी उपयंत्री के विरूद्ध प्रचलित विभागीय जांच प्रकरण बिना दण्ड के समाप्त किया गया है। **विभागीय पत्र क्रमांक – 5385/7564/1219/यो, दिनांक 12.09.2012** समिति द्वारा सतत् परीक्षण उपरांत इस सचिवालय के पत्र क्रं.19874/वि.स./आश्वा./2012 दि. 29.09.2012 के द्वारा विभाग से निम्नांकित जानकारी चाही गई :- ***बिना दण्ड समाप्त किये जाने वाले आदेश की प्रति।*** **लगातार पत्राचार के बावजूद अद्यतन स्थिति की जानकारी अप्राप्त है।**	कोई टिप्पणी नहीं.
82.	249	ता.प्र.सं.14 (क्र.3133) दि. 13.07.2004	रीवा जिले के लालगांव स्थित शासकीय मकान के पास से अतिक्रमण हटाया जाना।	आपके माध्यम से मा.सदस्य को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि विभाग की जमीन होगी हम उस विभाग को भी पत्र लिख देंगे और जिला कलेक्टर को निर्देश भी देंगे कि यदि अतिक्रमण हो तो उसको तत्काल हटा दिया जाए।	प्रश्नाधीन भूमि नजूल की भूमि होने से इस पर हुए अतिक्रमण को हटाने हेतु इस विभाग के ज्ञाप क्र. एफ 18-19/04/सा/19, दिनांक 26.7.2004 द्वारा सचिव, राजस्व विभाग एवं कलेक्टर, रीवा से अतिक्रमण हटाने हेतु लिखा गया है। **विभागीय पत्र क्रमांक – 19874/वि.स/आश्वा/2012, दिनांक 29.09.2012** समिति द्वारा सतत् परीक्षण उपरांत इस सचिवालय के पत्र क्रं.19874/वि.स./आश्वा./2012 दि. 29.09.2012 के द्वारा विभाग से निम्नांकित जानकारी चाही गई :- ***अतिक्रमण हटाये अथवा नहीं की अद्यतन जानकारी।*** **लगातार पत्राचार के बावजूद अद्यतन स्थिति की जानकारी अप्राप्त है।**	परिशिष्ट - 1 के अनुसार.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
83.	252	ता.प्र.सं.01 (क्र.4310) दि. 20.07.2004	बैतूल जिले की मुलताई बिरूल से सरई, काठी से लीलाझर, गुबरेल से मिष्ठाना, मोरखा, पट्टन से सोनेगांव, राठी, सांईखेडा से बिसनुर, पिसाटा, दतोरा, मोहरखेडा से सांईखेडा आदि सड़कों की मरम्मत व निर्माण कार्य।	उसमें मार्ग भी ले लिये जायेंगे।	मुलताई बिरूल बाजार मार्ग लं. 13.80 किमी :- नाबार्ड योजना अंतर्गत इस मार्ग की प्रशा. स्वी. रू. 438.17 लाख की म.प्र. शासन के पत्र क्र. 6098 दि. 06.07.05 को प्राप्त हुई। मार्ग 13.80 किमी. डामरीकरण एवं 24 नग पुल/पुलियों का निर्माण होना था। जिसमें से गिट्टीकरण तथा डामरीकरण 13.00 किमी एवं पुल/पुलियों 24 नग पूर्ण किया जा चुका है। शेष 0.80 किमी. के भू-अर्जन हेतु राशि रू. 6.60 लाख विभाग द्वारा चालान क्र. 167 दिनांक 25.3.13 जमा की गई थी। अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बैतूल द्वारा पुन: गणना पत्रक तैयार करने पर भू-अर्जन मुआवजा हेतु रू. 17,17,726/- जमा करने हेतु पत्र क्र. भू-अर्जन/ 2015/1249 मुलताई दिनांक 1.4.15 प्राप्त हुआ। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **6783/8417/2015/19/यो, दिनांक 31.10.2015**	कोई टिप्पणी नहीं.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
84.	254	ता.प्र.सं.40 (क्र.3517) दि. 20.07.2004	(1) रीवा जिले की सीमा के अंदर राष्ट्रीय राजमार्ग क्रं-7 के निर्माण कार्य में घोटाला करने वाले जिम्मेदार दोषी अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही।	(1) मैं आपको आश्वस्त करना चाहूंगा कि जैसे ही जांच पूर्ण हो जायेगी उसमें जो भी अधिकारी दोषी है, उनके खिलाफ हम कार्यवाही करेगें।	(1) प्रकरण में तत्कालीन कार्यपालन यंत्री श्री किशोर जोशी को शासन द्वारा दिनांक 24.07.04 को निलंबित किया जाकर मुख्य अभियंता रीवा से विभागीय जांच कराई गई है। जांच प्रतिवेदन के आधार पर श्री किशोर जोशी तत्कालीन कार्यपालन यंत्री के विरूद्ध दोष सिद्ध नहीं पाए जाने पर शासन के पत्र दिनांक 16.12.04 को निलंबन तथा विभागीय जांच समाप्त की गई है।	कोई टिप्पणी नहीं
			(2) दोषी अधिकारी श्री जे.एस. श्रीवास्तव के विरूद्ध जांच तथा मुअत्तिल किया जाना।	(2) मैं उन्हें सस्पेंड करने के निर्देश दे रहा हूं।	(2) श्री जे.एस. श्रीवास्तव, तत्कालीन सहायक यंत्री, श्री किशोर जोशी कार्यपालन यंत्री के अधीनस्थ मऊगंज रा.रा. मार्ग उपसंभाग में पदस्थ थे। यह प्रकरण तथा उपरोक्त पैरा-1 में उल्लेखित जांच प्रकरण एक ही है। चूंकि मुख्य अभियंता रीवा द्वारा प्रकरण में संपूर्ण जांच की गई है। जांच प्रतिवेदन में हनुमना से देवतालाब रा.रा. मार्ग क्रं.-7 के अंशदान के निर्माण में हुई अनियमितता के संबंध में परीक्षण किया गया है एवं इसी आधार पर श्री जोशी कार्यपालन यंत्री का निलंबन/जांच समाप्त करने का शासन द्वारा निर्णय लिया जाकर प्रकरण समाप्त किया गया है। इसी प्रकरण में श्री जे.एस. श्रीवास्तव भी थे। प्रकरण की जांच उपरांत कोई दोष सिद्ध नहीं पाया गया। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **878/4880/19/यो/06, दिनांक 18.02.2008**	
85.	256	ता.प्र.सं.09 (क्र.2466) दि. 20.07.2004	पोरसा मेहगांव व मोरनी राजमार्ग नंबर 19 जैसे महत्वपूर्ण मार्गो पर डामरीकरण का कार्य प्रारंभ किया जाना।	जनवरी-फरवरी में कार्य प्रारंभ कर सकेंगे।	पोरसा मेहगांव मऊ सेंवढ़ा राज्य राज मार्ग क्रं. 19 लं. 77.40 कि.मी. लागत रू. 43.43 करोड़ ए.डी.बी. योजनान्तर्गत द्वितीय चरण में स्वीकृत है। मार्ग का दि. 2.1.06 को अनुबंध का निष्पादन किया जाकर दिनांक 3.1.06 को मेसर्स पी.एन.सी. कन्सट्रक्शन कंपनी आगरा को कार्यादेश जारी किया जा चुका है। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **6748/7238/19/यो/07, दिनांक 24.09.2007**	कोई टिप्पणी नहीं.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
86.	260	अता.प्र.सं.28 (क्र.3541) दि. 20.07.2004	मध्यप्रदेश डिप्लोमा इंजीनियर्स एसोसिएशन द्वारा मंत्री महोदय प्रमुख सचिव एवं प्रमुख अभियंता को मांगों के संबंध में दिये गये ज्ञापन पर कार्यवाही।	परीक्षणोपरांत कार्यवाही सुनिश्चित की जावेगी।	मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ 1-2/08/नियम/चार, दिनांक 18.07.08 द्वारा उपयंत्रियों को 28 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर तृतीय उच्चतर वेतनमान रूपये 10000-325-15200 नियमानुसार दिये जाने का प्रावधान किया है। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **625/6304/2010/स्था/19, दिनांक 05.02.2011**	कोई टिप्पणी नहीं.
87.	262	ध्यानाकर्षण सूचना दि. 28.07.2004	शिवपुरी जिले के पिछोर चंदेरी रोड स्थिति ग्राम बामोर कलां में लोक निर्माण विभाग द्वारा पुरानी पुस्तैनी निजी मकानों, दुकानों को तोड़े जाने पर हुए नुकसान का मुआवजा दिया जान, दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध कार्यवाही।	(1) नियमानुसार विभागीय जांच आदि की जावेगी एवं सिद्ध होने पर आवश्यक दण्ड दिया जायेगा। (2) उन तीनों की कमेटी बनाकर मुआवजे की राशि निर्धारित की जाएगी। (3) उसकी जांच करवा लेंगे।	प्रकरण में संबंधित कार्यपालन यंत्री के विरूद्ध विभागीय जांच संस्थित की गई। रा.प्र.से. के अधिकारियों विरूद्ध कार्यवाही हेतु सा.प्र.वि. से अनुरोध किया गया है। आदेश दि. 9.12.2004 द्वारा कमेटी का गठन किया गया है। विभाग से संबंधित कार्यपालन यंत्री के विरूद्ध विभागीय जांच संस्थित कर आरोप पत्रादि जारी किए गए है। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **एफ 18-19/04/स्था/19, दिनांक 13.05.2005** समिति द्वारा सतत् परीक्षण उपरांत इस सचिवालय के पत्र क्रं.19874/वि.स./आश्वा./2012 दि. 29.09.2012 के द्वारा विभाग से निम्नांकित जानकारी चाही गई :- ***विभागीय जांच की अद्यतन स्थिति।*** **लगातार पत्राचार के बावजूद अद्यतन स्थिति की जानकारी अप्राप्त है।**	परिशिष्ट - 1 के अनुसार.

जून-जुलाई, 2004 सत्र
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

स.क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या, प्रश्न क्रमांक, दिनांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	समिति का अभिमत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
88.	292	ता.प्र.सं.04 (क्र.2470) दि. 14.07.2004	मा.अध्यक्ष महोदय के निर्देश शहडोल जिले में निजी अस्पताल संचालित कर प्रायवेट प्रेक्टिस कर शास.अस्पताल में उपस्थिति की जांच किया जाना।	परीक्षण करवा ले कि लंबी अनुपस्थिति संतोषजनक कारणों से है या नहीं।	उत्तर अप्राप्त	परिशिष्ट - 1 के अनुसार.
89.	294	ता.प्र.सं.18 (क्र.2945) दि. 15.07.2004	देवास-खातेगांव विधानसभा क्षेत्र में डाक्टरों के रिक्त पदों की पूर्ति की जाना।	खातेगावं में जो महिला डॉक्टर की पोस्टिंग करनी थी उसमें डॉ. सुजाता मैनी को पदस्थ कर दिया गया है और शेष पद जैसे ही हमारे पास चिकित्सक उपलब्ध होते है हम शीघ्रतिशीघ्र भर देंगे।	खातेगांव विधान सभा क्षेत्र में संचालनालय आदेश क्र. 1022 दिनांक 10.07.07 द्वारा डॉ बी.एल. कुशवाहा जिला गुना को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खातेगांव स्थानांतरित किया गया है एवं वर्ष 2005 में डॉ. दीपा दुबे को संविदा नियुक्ति के तहत पदस्थ किया गया है। इन्होंने दिनांक 12.12.05 को कार्य भार ग्रहण कर लिया है। पी.एच.सी. संदलपुर में डॉ. हेमेन्द्र सिंह खीची को संविदा नियुक्ति के तहत पदस्थ किया है। इन्होंने 12.12.05 को कार्यभार ग्रहण कर लिया है। पी.एच.सी. आमला में डॉ. पिंकी सिंघानिया को संविदा नियुक्ति के तहत पदस्थ किया है। इन्होनें 23.07.05 को कार्यभार ग्रहण कर लिया है। पी.एच.सी. पानीगांव में डॉ. यशवंत सिंह राठौर को संविदा नियुक्ति के तहत पदस्थ किया है इन्होनें 28.05.07 को कार्यभार ग्रहण कर लिया है। पी.एच.सी. कुशमानिया में डॉ. सुनील राठौर को संविदा नियुक्ति के तहत पदस्थ किया है इन्होनें 31.05.07 को कार्यभार ग्रहण कर लिया है। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **एफ 16-241/2008/सत्रह/मेडि-1, दिनांक 14.11.2008**	कोई टिप्पणी नहीं.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
90.	299	ता.प्र.सं.04 (क्र.2103) दि. 21.07.2004	1. जिला चिकित्सालय टीकमगढ़ द्वारा दवाईयों की खरीदी में अनियमितता बरतने के संबंध में जांच कराकर दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही एवं 2. जांच के समय सीनीय विद्यालय को जांच में बराबर बुलाकर बातचीत करके कार्यवाही की जाना।	जांच में जो भी पाया जायेगा और जिस व्यक्ति के द्वारा अनियिमतताएं की गई है उन सबके खिलाफ जांच होगी यदि जांच में वह आता है और उसकी गलती पाई जाती है तो उसको छोड़ा नहीं जायेगा।	प्रकरण में जांच कराई गई तत्कालीन सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक प्रथम दृष्टया दोषी पाये गये, उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रांरभ की गई, किंतु दिनांक 19.06.06 को उनकी मृत्यु हो जाने के कारण मध्यप्रदेश शासन के आदेश क्रमांक एफ 13-43/05/17/मेडि-1 दिनांक 19.11.06 के द्वारा प्रचलित कार्यवाही समाप्त कर दी गई। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **एफ 9-134/2004/17/मेडि-2, दिनांक 24.06.2008**	कोई टिप्पणी नहीं
91.	300	ता.प्र.सं.11 (क्र.3612) दि. 21.07.2004	बरेली विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम हमर ग्राम कुचवाड़ा एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बम्होरी एवं उरिया कला के भवन निर्माण में हुई धांधली की जांच कराकर दोषी के विरूद्ध कार्यवाही।	(1) जांचोपरांत आवश्यक होने पर कार्यवाही की जावेगी। (2) शीघ्रातिशीघ्र करवा लिया जायेगा।	उत्तर अप्राप्त	परिशिष्ट - 1 के अनुसार.
92.	302	ता.प्र.सं.25 (क्र.4515) दि. 21.07.2004	पिपरिया वि.स. क्षेत्र के चिकित्सालयों में रिक्त पदों की पूर्ति।	रिक्त पदों की पूर्ति के प्रयास किये जा रहे हैं।	आवश्यकतानुसार पदों की पूर्ति की गई है किंतु शत प्रतिशत पूर्ति की जाना संभव नहीं है। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **683/207/2014/17/मेडि-एक, दिनांक 13.03.2014**	कोई टिप्पणी नहीं.
93.	303	ता.प्र.सं.47 (क्र.4542) दि. 21.07.2004	सिविल सर्जन विदिशा द्वारा क्रय पर पूर्णत: प्रतिबंध होने के पश्चात् भी की गई खरीददारी की जांच एवं दोषी के विरूद्ध कार्यवाही।	दोषी पाये जाने पर संबंधितों के विरूद्ध विधिवत् कार्यवाही की जायेगी।	उत्तर अप्राप्त	परिशिष्ट - 1 के अनुसार.
94.	304	परि.ता.प्र.सं.48 (क्र.4545) दि. 21.07.2004	विदिशा में स्वास्थ्य सेवाओं की आडिट दल द्वारा की गई शिकायत व वित्त विभाग के क्रय पर पूर्ण प्रतिबंध होने के बावजूद जिला में की गयी खरीददारी के संबंधित दोषी अधि./कर्मचारी पर कार्यवाही।	जांच प्रतिवेदन परीक्षणाधीन है।	विदिशा में स्वास्थ्य सेवाओं की आडिट दल द्वारा की गई शिकायत व वित्त विभाग के द्वारा खरीदी पर प्रतिबंध में विभाग द्वारा कार्यवाही की जा चुकी है तथा दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध विभागीय जांच तथा निलंबन की कार्यवाही कर दी गई है। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **912/1228/2015/सत्रह/मेडि-2, दिनांक 09.07.2015**	कोई टिप्पणी नहीं.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
95.	305	ता.प्र.सं.05 (क्र.5025) दि. 28.07.2004	जिला मुख्यालय के चिकित्सालयों में पदस्थ संविदा चिकित्सकों की ग्रामीण क्षेत्रों में नियुक्ति किया जाना।	1. नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। 2. इनकी पुनर्नियुक्ति करेंगे और ग्रामीण क्षेत्र में इनकी पदस्थापना करेंगे। 3. इनको हम दोनों तरीको से दुरूस्त करेंगे।	संविदा भर्ती नियमों में यह प्रावधान है कि पुरूष संविदा चिकित्सा अधिकारियों को सामान्यत: प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर ही नियुक्त किया जावेगा एवं महिला संविदा चिकित्सा अधिकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के साथ-साथ सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर भी नियुक्त की जावेगी, ग्रामीण क्षेत्र में ही संविदा नियुक्ति की जा रही है। **विभागीय पत्र क्रमांक – 3482/6987/07/17/मेडि-1, दिनांक 22.11.2007**	कोई टिप्पणी नहीं.
96.	306	अता.प्र.सं.108 (क्र.4608) दि. 14.07.2004	खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 की धारा 08 के तहत कार्यवाही।	परीक्षणोपरांत विधिवत् कार्यवाही की जावेगी।	केन्द्रीय कानून खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के दिनांक 05.08.2011 प्रभावशील होने से खाद्य अपमिश्रण अधिनियम, 1954 की धारा 08 को लागू नहीं किया जा सकता है। **विभागीय पत्र क्रमांक – 1388/1183/2014/सत्रह/मेडि-2, दिनांक 26.11.2014**	कोई टिप्पणी नहीं.
97.	306बी	अता.प्र.सं.10 (क्र.4609) दि. 28.07.2004	रीवा जिले में पदस्थ खाद्य निरीक्षक को खाद्य लायसेंस का नवीनीकरण हेतु लंबित आवेदन पत्र के संबंध में दोषी खाद्य निरीक्षकों के विरूद्ध कार्यवाही।	जांच उपरांत दोषी खाद्य निरीक्षकों के विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी।	रीवा जिले में पदस्थ दोषी खाद्य निरीक्षकों के विरूद्ध नियमानुसार कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। श्री बी.के. मिश्रा सेवानिवृत्त खाद्य निरीक्षक की शिकायत गुण दोष के आधार पर नस्तीबद्ध कर दी गई है। खाद्य निरीक्षक श्री एस.के पाण्डे से प्रशासन द्वारा पत्र क्रमांक 1514 दिनांक 07.02.2007 से प्राप्त शिकायतों के संबंध में उप संचालक खाद्य एवं औषधि प्रशासन रीवा के अभिमत के साथ जवाब मांगा गया था। इसी दौरान श्री एस.के. पाण्डे दिनांक 28.02.2007 को सेवा निवृत्त हो गये। उसके बाद श्री पाण्डे के विरूद्ध कार्यवाही प्रारंभ नहीं हुई चूंकि श्री पाण्डे को सेवा निवृत्त हुए सात वर्ष से अधिक समय हो गया है। **विभागीय पत्र क्रमांक – 1293/2521/2015/सत्रह/मेडि-1, दिनांक 11.06.2005**	परिशिष्ट - 1 के अनुसार.

स्थान :- भोपाल
दिनांक :- 17 मार्च, 2016

राजेन्द्र पाण्डेय
सभापति
शासकीय आश्वासनों संबंधी समिति

:: परिशिष्ट - 1 ::

विशेष टिप्पणी/अनुशंसा

जून-जुलाई, 2004 सत्र के आश्वासनों पर आधारित इस प्रतिवेदन में 23 विभागों के 97 आश्वासनों पर शासन द्वारा की गई कार्रवाई के संदर्भ में समिति द्वारा किये गये परीक्षण में यह स्थिति सामने आई है कि लगभग 11 वर्ष से अधिक की समयावधि व्यतीत हो जाने के बावजूद 07 विभागों के परिशिष्ट - 2 में दर्शित 14 मामलों में विभागों की ओर से पूर्ण जानकारी प्राप्त नहीं हुई। 03 मामलों में लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा 01 मामले में राजस्व विभाग द्वारा प्रारंभिक जानकारी तक उपलब्ध नहीं कराई गई। समिति यह जानकर आश्चर्यचकित है कि लगभग ये सभी मामले पद के दुरूपयोग/शासकीय नियमों का उल्लंघन/आर्थिक अनियमितताएं तथा भ्रष्टाचरण से संबंधित हैं। जिन पर समय रहते विभागों को कार्रवाई करना थी। मामलों पर विभागीय उदासीनता को देखते हुए यह स्पष्ट है कि दोषियों को बचाने की दृष्टि से ही यह सोची समझी उदासीनता बरती गई है। फलस्वरूप कतिपय दोषी अधिकारी/कर्मचारी सेवानिवृत्त हो चुके हैं और कुछ की मृत्यु भी हो चुकी है। मामलों में समय निकालकर दोषियों को बचाने का यह उपक्रम निश्चित ही निंदनीय है और ऐसे दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की अपेक्षा भी है।

सदन में माननीय सदस्यों द्वारा प्रस्तुत मामलों पर माननीय मंत्रियों द्वारा दिये गये आश्वासनों पर कार्रवाई न होने से शासन के साथ-साथ जन सामान्य को भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपरिमित हानि होती है और जनता में गलत संदेश भी जाता है। समिति की दृष्टि में ऐसी प्रवृत्ति निश्चित रूप से आपराधिक होकर दण्डनीय है एवं प्रशासनिक दृष्टि से भी ऐसी प्रवृत्ति के शमन हेतु अत्यधिक गंभीरता से कार्रवाई करने की आवश्यकता है। समिति का मानना है कि विलंब से किया गया न्याय, अन्याय से भी बढ़कर होता है।

विभागीय जांच की प्रक्रिया तथा निश्चित समयावधि में उसके निराकरण के संबंध में शासन के स्पष्ट दिशा-निर्देश हैं इसके बावजूद प्रशासनिक व्यवस्था की यह गंभीर त्रुटि है कि ऐसे लंबित मामलों की समीक्षा की कोई सतत् व्यवस्था विभागों द्वारा तय नहीं की गई है। इस वजह से मामले वर्षो तक लंबित रहते हैं और दोषी दण्डित नहीं हो पाते। इससे सामान्य रूप में यह संदेश जाता है कि व्यवस्था को सुविधानुसार अपने अनुकूल किया जा सकता है, इस वजह से विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों में दोषियों को बचाने की आपराधिक प्रवृत्ति में निरन्तर वृद्धि होती रहती है।

समिति की यह मंशा है कि विभागों में ऐसे मामलों के, शासन के दिशा-निर्देशों के अनुरूप निश्चित समयावधि में, निराकरण हेतु पृथक् रूप से प्रकोष्ठ बनाये जाएं, जिनकी समीक्षा विभागाध्यक्ष स्तर पर प्रति माह हो ताकि दोषियों को तय समयावधि में दण्डित किया जा सके एवं निर्दोष के स्वत्वों की भी रक्षा हो सके।

इसके साथ ही समिति अनुशंसा करती है कि परिशिष्ट में दर्शित विभागीय जांच, वसूली तथा उत्तर अप्राप्त आदि के गंभीर मामलों का निराकरण अधिकतम तीन माह में करके समिति को सूचित किया जाए।

समिति की यह भी अनुशंसा है कि मामलों में विलंब के दोषी भी अवश्य दण्डित हों।

:: परिशिष्ट - 2 ::

अनिर्णीत प्रकरण

राजस्व विभाग

आश्वासन क्रमांक	43

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

आश्वासन क्रमांक	50
आश्वासन क्रमांक	79

स्कूल शिक्षा विभाग

आश्वासन क्रमांक	158
आश्वासन क्रमांक	165

सहकारिता विभाग

आश्वासन क्रमांक	208

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

आश्वासन क्रमांक	216
	219

लोक निर्माण विभाग

आश्वासन क्रमांक	249
आश्वासन क्रमांक	262

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

आश्वासन क्रमांक	292
आश्वासन क्रमांक	300
आश्वासन क्रमांक	303
आश्वासन क्रमांक	306 बी

:: परिशिष्ट - 3 ::

जून-जुलाई, 2004 सत्र पूर्व प्रतिवेदनों में सम्मिलित आश्वासनों की सूची

क्रमांक	आश्वा.क्रं.	विभाग का नाम	प्रकरण की स्थिति	विधान सभा अवधि
1.	01 एवं 02	गृह	चतुर्थ प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
2.	04	"	सोलहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
3.	07	"	चौबीसवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
4.	09	"	ग्यारहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
5.	11	"	ग्यारहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
6.	12	"	तेरहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
7.	13	"	बीसवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
8.	14	"	ग्यारहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
9.	15	"	तेरहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
10.	16	"	तेरहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
11.	19	"	चतुर्थ प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
12.	22	"	तेरहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
13.	23	"	सोलहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
14.	26	"	चतुर्थ प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
15.	27	"	चतुर्थ प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
16.	28	"	चतुर्थ प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
17.	30	"	चतुर्थ प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
18.	31	"	तेरहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
19.	32	"	तेरहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
20.	34	"	चतुर्थ प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
21.	36	"	चतुर्थ प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
22.	38	"	चतुर्थ प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
23.	39	"	चतुर्थ प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
24.	40	"	चतुर्थ प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
25.	41	"	चतुर्थ प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
26.	44	वित्त विभाग	ग्यारहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
27.	45	"	सोलहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
28.	46	योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी	सोलहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
29.	47	पंचायत एवं ग्रामीण विकास	ग्यारहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
30.	48	"	चतुर्थ प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
31.	49	"	चतुर्थ प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
32.	51	"	चतुर्थ प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
33.	52	"	चतुर्थ प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
34.	53	"	चौबीसंवा प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
35.	54	"	चतुर्थ प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
36.	55	"	चतुर्थ प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
37.	56	"	चतुर्थ प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
38.	57	"	सोलहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
39.	58	"	चतुर्थ प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
40.	59	"	चतुर्थ प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
41.	60	"	ग्यारहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
42.	61	"	ग्यारहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
43.	62	"	चतुर्थ प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
44.	63	"	एकादश प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
45.	64	"	चतुर्थ प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
46.	65	"	एकादश प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
47.	66	पंचायत एवं ग्रामीण विकास	चतुर्थ प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
48.	67	"	ग्यारहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा

49.	68	पंचायत एवं ग्रामीण विकास	चतुर्थ प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
50.	69	"	तेरहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
51.	70	"	चतुर्थ प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
52.	71	"	चतुर्थ प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
53.	72	"	ग्यारहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
54.	73	"	चतुर्थ प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
55.	74	"	चतुर्थ प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
56.	75	"	चतुर्थ प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
57.	76	"	चतुर्थ प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
58.	77	"	चतुर्थ प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
59.	80	ग्रामोद्योग	ग्यारहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
60.	81	"	चतुर्थ प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
61.	82	"	तेरहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
62.	84	मछली पालन	चौबीसवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
63.	85	"	चौबीसवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
64.	86	"	चतुर्थ प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
65.	87	"	चतुर्थ प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
66.	88	"	सोलहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
67.	90	"	सोलहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
68.	91	"	ग्यारहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
69.	93	"	चतुर्थ प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
70.	94	"	चतुर्थ प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
71.	95	"	चतुर्थ प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
72.	96	"	चतुर्थ प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
73.	99	पशुपालन	तेरहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
74.	100	"	ग्यारहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
75.	101	"	बीसवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
76.	102	"	ग्यारहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
77.	103	"	बीसवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
78.	104	सामान्य प्रशासन	चतुर्थ प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
79.	105	"	चतुर्थ प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
80.	106	"	तेरहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
81.	107	आदिम जाति कल्याण	ग्यारहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
82.	110	"	ग्यारहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
83.	111	"	ग्यारहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
84.	115	सूचना प्रौद्योगिकी	ग्यारहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
85.	116	जैव विविधता एवं जैव प्रौद्योगिकी	सोलहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
86.	118	खाद्य,नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण	तेरहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
87.	119	"	बीसवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
88.	121	महिला एवं बाल विकास	सोलहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
89.	122	"	ग्यारहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
90.	124	"	चतुर्थ प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
91.	125	"	ग्यारहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
92.	127	जल संसाधन	चौबीसवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
93.	128	"	ग्यारहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
94.	129	"	ग्यारहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
95.	130	"	ग्यारहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
96.	131	"	ग्यारहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
97.	132	"	ग्यारहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
98.	133	"	चतुर्थ प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
99.	135	"	ग्यारहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
100.	137	"	ग्यारहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
101.	138	"	ग्यारहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा

102.	141	स्कूल शिक्षा	चतुर्थ प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
103.	142	"	चौबीसंवा प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
104.	143	"	सोलहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
105.	144	"	चतुर्थ प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
106.	145	"	चतुर्थ प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
107.	146	"	ग्यारहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
108.	147	"	चतुर्थ प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
109.	148	"	चतुर्थ प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
110.	149	"	चतुर्थ प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
111.	150	"	चतुर्थ प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
112.	151	"	चतुर्थ प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
113.	152	"	चतुर्थ प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
114.	153	"	चतुर्थ प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
115.	154	"	चतुर्थ प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
116.	155	"	सोलहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
117.	157	"	चतुर्थ प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
118.	159	"	ग्यारहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
119.	161	"	सोलहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
120.	162	"	चतुर्थ प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
121.	163	"	सोलहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
122.	164	"	तेरहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
123.	167	खेल एवं युवक कल्याण	सोलहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
124.	169	पर्यटन	ग्यारहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
125.	170	"	ग्यारहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
126.	171	वन	चतुर्थ प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
127.	172	"	चतुर्थ प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
128.	175	"	चतुर्थ प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
129.	176	"	चतुर्थ प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
130.	177	"	ग्यारहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
131.	178	खनिज साधन	ग्यारहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
132.	179	"	ग्यारहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
133.	180	"	ग्यारहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
134.	183	"	ग्यारहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
135.	185	परिवहन	ग्यारहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
136.	186	"	ग्यारहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
137.	187	"	ग्यारहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
138.	188	"	ग्यारहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
139.	190	"	ग्यारहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
140.	191	"	ग्यारहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
141.	192	कृषि	चतुर्थ प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
142.	194	"	चौबीसवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
143.	195	"	तेरहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
144.	196	"	ग्यारहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
145.	197	"	ग्यारहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
146.	199	"	तेरहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
147.	201	"	तेरहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
148.	203	धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व	अठारहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
149.	204	सहकारिता	चौबीसवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
150.	206	"	अठारहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
151.	207	"	ग्यारहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
152.	209	"	ग्यारहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
153.	210	"	चौबीसवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
154.	211	"	ग्यारहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा

155.	213	सहकारिता	चौबीसवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
156.	214	नगरीय प्रशासन एवं विकास	ग्यारहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
157.	215	"	ग्यारहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
158.	217	"	ग्यारहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
159.	218	"	ग्यारहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
160.	221	"	ग्यारहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
161.	222	"	चौबीसवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
162.	223	"	ग्यारहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
163.	225	"	ग्यारहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
164.	231	"	ग्यारहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
165.	232	"	सोलहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
166.	233	"	ग्यारहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
167.	234	आवास एवं पर्यावरण	ग्यारहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
168.	236	"	ग्यारहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
169.	237	"	ग्यारहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
170.	238	"	ग्यारहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
171.	240	भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास	ग्यारहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
172.	241	लोक निर्माण	चतुर्थ प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
173.	242	"	सोलहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
174.	243	"	चतुर्थ प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
175.	244	"	सोलहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
176.	246	"	चतुर्थ प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
177.	247	"	चतुर्थ प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
178.	250	"	चतुर्थ प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
179.	251	"	बीसवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
180.	253	"	चतुर्थ प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
181.	255	"	चतुर्थ प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
182.	257	"	चतुर्थ प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
183.	258	"	चतुर्थ प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
184.	259	"	चतुर्थ प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
185.	261	"	चतुर्थ प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
186.	263	संसदीय कार्य	चतुर्थ प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
187.	264	ऊर्जा	बीसवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
188.	265	"	ग्यारहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
189.	267	"	ग्यारहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
190.	269	"	तेरहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
191.	270	"	अठारहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
192.	271	"	बीसवां प्रतिवेदन	द्वादश विधान सभा
193.	273	"	सोलहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
194.	276	"	बीसवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
195.	277	"	सोलहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
196.	279	"	सोलहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
197.	280	"	अठारहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
198.	281	चिकित्सा शिक्षा	अठारहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
199.	282	"	अठारहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
200.	283	"	ग्यारहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
201.	284	"	बीसवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
202.	285	"	अठारहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
203.	286	"	ग्यारहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
204.	287	"	ग्यारहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
205.	288	"	प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
206.	289	लोक स्वा. एवं परिवार कल्याण	चतुर्थ प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
207.	290	"	चौबीसवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा

208.	291	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	तेरहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
209.	293	"	बीसवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
210.	295	"	तेरहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
211.	296	"	चतुर्थ प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
212.	297	"	चतुर्थ प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
213.	298	"	तेरहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
214.	301	"	चतुर्थ प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
215.	307	वाणिज्यिक कर	सौलहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
216.	308	वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार	ग्यारह प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
217.	309	"	अठारह प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
218.	310	"	ग्यारह प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
219.	311	उच्च शिक्षा	चतुर्थ प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
220.	312	"	चतुर्थ प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
221.	313	"	चतुर्थ प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
222.	314	"	चतुर्थ प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
223.	315	"	चतुर्थ प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
224.	317	"	चतुर्थ प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
225.	318	"	तेरहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
226.	319	"	चतुर्थ प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
227.	320	"	चतुर्थ प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
228.	322	तकनीकी शिक्षा	ग्यारहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
229.	323	"	सौलहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
230.	327	पिछड़ा वर्ग एवं अल्प संख्यक कल्याण	बीसवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा